सत्यमेव जयते

शनिवार,
२१ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

२००९ २०१०

लोक सभा

शनिवार, २१ मार्च १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

[कोई प्रश्न नहीं पूछा गया : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ]

विमान निगम विधेयक

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय वर्तमान विमान समवायों के उपक्रमों के विमान निगमों द्वारा अधिग्रहण को सुकर बनाने तथा विमान यातायात सेवाओं के संचालन के लिये सामान्यतया और अधिक तथा अच्छी व्यवस्था करने के हेतु विमान निगमों की स्थापना की व्यवस्था के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

".....विमान निगमों की स्थापना की व्यवस्था के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जगजीवन राम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हू ।

अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ८५, ८६, ८७ और १३४ को लेंगे ।

मांग संख्या ८५—पुनर्वास मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में पुनर्वास मंत्रालय के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को १८,१५,००० रुपये तक की राशि दी जाये ।"

मांग संख्या ८६—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिए राष्ट्रपति को ११,६१,८७,००० रुपये तक की राशि दी जाय ।"

मांग संख्या ८७—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये राष्ट्रपति को ३६ ००० रुपये तक की राशि दी जाए ।"

मांग संख्या १३४—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी विनियोग

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में पुनर्वास मंत्रालय के पूंजी विनियोग के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये राष्ट्रपति को २२,९२,००० रुपये तक की राशि दी जाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों में निम्न विषयों के लिये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

मांग—पुनर्वास मंत्रालय

नाम	विषय	कटौती
श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर)	पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का पुनर्वास	१०० रुपये
श्री टी० के० चौधरी	सरकारी बस्तियां छोड़ कर भागने वाले शरणार्थी	१०० रुपये
श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)	जम्मू तथा काश्मीर का पुनर्वास	१०० रुपये
श्री गिडवानी (थाना)	पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति	१०० रुपय
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट)	पारपत्र प्रणाली से पूर्व प्रव्रजन करने वाले विस्थापित व्यक्तियों के साथ असन्तोषजनक व्यवहार	१०० रुपये
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का पुनर्वास	१०० रुपये
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सरकारी शिविरों तथा बस्तियों से भाग कर चले जाना	१०० रुपये
श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व)	त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल की भूमि पर शरणार्थियों का पुनःसंस्थापन	१०० रुपये
श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्वास	१०० रुपये
श्री **दशरथ देव**	पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का पुनर्वास	१०० रुपये
श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)	विस्थापित कृषि श्रमिकों को भूमि	१०० रुपये

मांग—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

श्री नम्बियार (मयूरम्)	उत्तर प्रदेश में गोविन्दपुर की बस्ती	१०० रुपये
श्री नम्बियार	उत्तर प्रदेश में गोविन्दपुर की बस्ती के मकान	१०० रुपये
श्री नानादास	विस्थापित हरिजनों पर व्यय की गई अपर्याप्त राशियां	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अब सदन के समक्ष रखे जाते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : मैं अपना कथन केवल एक दो अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों तक ही सीमित रखूंगी। पुनर्वास मंत्रालय ने बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत कर के हमें यह बताने की चेष्टा की है कि उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के लिये क्षतिपूर्ति को छोड़ कर और सब कुछ कर दिया है और उन्हें निकट भविष्य में ही इस समस्या के बिल्कुल समाप्त हो जाने की आशा है। मैं पुनर्वास मंत्रालय की सफलताओं को कम नहीं करना चाहती किन्तु मैं इस चीज को आंकना चाहती हूं कि गत वर्ष पुनर्वास मंत्रालय ने मानव कष्ट को दूर करने तथा लोगों की आर्थिक अवस्था को सुधारने या शरणार्थियों के आर्थिक कष्टों को दूर करने और उन के वास्तविक पुनर्वास में कितनी प्रगति की है। यदि इस मापदण्ड से नापा जाये तो पुनर्वास मंत्रालय की गत वर्ष की सफलतायें कुछ अधिक नहीं प्रतीत होतीं। मानव कष्ट तो और बढ़ा ही है। विभाजन के पांच वर्ष पश्चात् तथाकथित पुनर्वासित शरणार्थियों के सारे संसाधन समाप्त हो गये हैं और उन के लिये नौकरी के पर्याप्त क्षेत्र नहीं हैं तथा उन के शारीरिक, नैतिक और आर्थिक साधन भी समाप्त हो गये हैं। इस प्रकार उन्हें भविष्य से बड़ी निराशा हो गई।

हम सब से पहिले पुनर्वास मंत्रालय के सब से बड़े कार्य बस्तियों को ही लेते हैं। हमें इन बतिस्यों पर बड़ा गर्व है। हम ये बस्तियां विदेशी दर्शकों को दिखा कर उन से प्रमाणपत्र ले लेते हैं। परन्तु इन की वास्तविक अवस्था कैसी है। फरीदाबाद की बस्ती को ही लीजिये। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की व्यक्तिगत रूप से इस में रुचि थी। और उन्हों ने इस के लिये सारी लालफीताशाही को समाप्त कर दिया था। लेडी माउन्टबेटन को भी इस में रुचि थी। किन्तु हम सुनते हैं कि फरीदाबाद की बस्ती में बेकारी बहुत अधिक है। वहां कई बार हड़तालें, भूख हड़तालें और प्रदर्शन हो चुके हैं। वहां कौन से काम करने को हैं? पत्थर की खानों में ३०० से ४०० तक व्यक्ति काम करते हैं किन्तु इस कार्य के लिये भी सरकार वित्तीय सहायता देती है। मुझे बतलाया गया है कि ८०० से १,००० तक व्यक्ति प्रतिदिन १ रुपया या सवा रुपया बस में खर्च कर के कुली या मजदूरों का काम करने के लिये फरीदाबाद से दिल्ली आते हैं। छोटे छोटे दूकानदारों और कृषकों को यह बेकार का काम करना पड़ता है। फरीदाबाद में यह तो काम की स्थिति है। वहां की भारतीय सहकारी समिति न मालूम किन कारणों से बन्द हो गई है और जो कुछ थोड़ा-बहुत काम वह देती थी वह भी शरणार्थियों को मिलना बन्द हो गया है। मेरे पास छोटे छोटे व्यवसायियों की ओर से एक अभ्यावेदन आया है जिस में उन्हों ने बताया है कि भूमि का किराया अधिक होने के कारण, बिजली का किराया अधिक होने के कारण तथा यातायात की कठिनाइयों के कारण उत्पादन व्यय बहुत अधिक है और इसलिये वे बाजार में औरों का मुकाबला नहीं कर सकते।

फरीदाबाद के हस्पताल में क्षय रोग के रोगियों के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है और उन्हें दिल्ली लाना पड़ता है।

राजपुरा में पहिले ६०,००० लोग बसाये जाने थे, किन्तु अब वहां केवल १०,००० से १२,००० तक व्यक्ति हैं। वहां बड़ी धांधली हुई है। किन्तु इतने व्यक्तियों के लिये भी काम की क्या व्यवस्था है। होशियारपुर में बहुत से मकान बने हुए हैं, किन्तु उन में से कितनों में पदाधिकारी, प्रशासन कर्मचारी रहते हैं

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

और कितनों में शरणार्थी रहते हैं तथा कितने खाली पड़े हैं। इस के बाद यह भी पता लगाना चाहिये कि उन में से कितने लाभकारी कामों पर लगे हुए हैं। यह कहा जाता है कि शरणार्थी बड़े विचित्र होते हैं, सरकार उन्हें बसाती है और वे वहां से भाग जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या उन में इतनी भी सहजबुद्धि नहीं होती कि वे यह पहचान सकें कि कौन-सी चीज़ उन्हीं की भलाई के लिये है और प्राप्त सुविधाओं से लाभ उठा सकें? जब उन्हें जीवन की मूल सुविधाएं नहीं मिलतीं तो उन के लिये वहां रहना दूभर हो जाता है। उड़ीसा में लोगों को पानी तक नहीं मिला और वे उस स्थान को छोड़ कर चले गये। मैं ने स्वयं देखा है कि कालकाजी की बस्ती में पानी की कितनी तंगी है।

नीलोखेड़ी को ही जा कर देखिये। श्री दास ने वहां अच्छा काम किया है। किन्तु अब तो वह मुर्दों का नगर प्रतीत होता है। वहां लोगों के लिये कोई काम नहीं है। यदि वहां काम की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो यह नगर मिट जायेगा।

बंगाल में फुलिया को भी नीलोखेड़ी के नमूने पर बनाया गया था, किन्तु उसे देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई। वहां केवल एक स्कूल चल रहा है जिस में कि सरकार से छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं। किन्तु सरकार द्वारा आरम्भ किये गये और सब औद्योगिक उपक्रम बन्द हो गये हैं। कुछ शरणार्थियों के छोटे छोटे कारखाने भी बन्द हो गये हैं। अतः केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम ने लोगों के लिये मकान बना दिये हैं और इसलिये उन्हें पुनः बसा दिया गया है। आप को उन्हें काम देना होगा। इसीलिये मैं कहती हूं कि इस नीति से सफलता नहीं मिल सकती।

कुछ दिन पूर्व चुनार वनिता आश्रम के सम्बन्ध में जहां कि बंगाली लड़कियों को ला कर रखा जाता है एक चलचित्र दिखाया गया था। इसे देख कर मेरी माननीय बहिन श्रीमती उमा नेहरू को बहुत ही दुःख हुआ। लड़कियों को छै मास में कपड़ों का केवल एक सेट दिया गया था। उन के पास बदलने के लिये पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। यह चलचित्र विश्व के लोगों को दिखाया गया था।

कलकत्ता के सियालदह और हावड़ा स्टेशनों की धांधली को ही लीजिये। वहां सैकड़ों लोग महीनों तक प्लैटफार्मों पर पड़े रहते हैं और पकौड़ियां बेच कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये सम्मानित नागरिक, किसान या छोटे छोटे दूकानदार अब भिखमंगे और अपराधी बन गये हैं और इन की स्त्रियां वेश्यायें बन गई हैं। कहा जाता है कि इन्हें नहीं बसाया जा सकता क्योंकि एक बार इन्हें बसाया गया था और ये उस स्थान को छोड़ कर चले गये। मैं चाहती हूं कि इन के प्रति सहानुभूति से काम लिया जाये।

पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी अपनी सम्पत्ति के प्रश्न पर बड़े परेशान हैं। गत वर्ष इस विषय में कुछ भी प्रगति नहीं हुई। और मंत्रालय ने इस विषय में अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया है। चल सम्पत्ति के दावों को तय करने का मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है और इस में कोई प्रगति नहीं हुई है।

क्षतिपूर्ति के विषय का भी यही हाल है। इस विषय में टेकचन्द समिति ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। पुनर्वास मंत्री ने क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण योजना को नवम्बर में संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था। किन्तु अब मार्च जा रहा है और अभी तक हमें यह ज्ञात नहीं कि यह किस

अवस्था में है। क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बतला सकते हैं कि यह योजना कब तक प्रस्तुत की जा सकेगी। आप जान बूझ कर इसे टालते जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को निबटाने में कितना समय लगेगा ?

यह क्षतिपूर्ति मुख्यतया निष्क्रान्त सम्पत्ति में से ही की जायेगी। अतः जब तक निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रश्न तय नहीं हो जाता तब तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठ सकता। जब तक निष्क्रान्त सम्पत्ति पर निर्वासितों के अधिकार को समाप्त करने के लिये उपयुक्त विधान नहीं बनाया जाता तब तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न रुका रहेगा। यह विधेयक कब सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ? क्षतिपूर्ति की योजना पर कब तक विचार होता रहेगा ? हम जानना चाहते हैं कि यह विधेयक कब पारित होगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि अब इस प्रश्न के सम्बन्ध में विलम्ब नहीं करना चाहिये और क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक विधेयक इसी सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, आज हम रीहैबिलिटेशन के मसले के मुतालिक विचार करने के लिये इकट्ठे हुए हैं। पांच वर्ष से यह मसला हमारे सामने है और आप सब को मालूम है कि नियोगी साहब ने इस को बहुत हद तक हल करने की कोशिश की। गो श्री मोहनलाल जी सक्सेना चले गये, लेकिन उन्हों ने जो काम किया उस की तारीफ किये बगैर हम नहीं रह सकते। इस वक्त श्री अजित प्रसाद जैन ने जो काम किया है उस को हम भूल नहीं सकते। मेरी बहिन सुचेता जी ने अभी अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरी ख्वाहिश यह थी कि मैं उन के साथ इत्तिफाक कर जाऊं। लेकिन जब उन्हों ने यह बात कही कि मिनिस्ट्री फेल्योर है तो यह तो उन्हों ने ऐसे अल्फाज़ कह दिये जिन के साथ मुझे इतिफाक करने के लिये हौंसला नहीं है। यह बात कि आज रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री जो है वह नाकामयाब हुई है इस को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : नहीं, आप ने कुछ ज्यादा समझा ? मैं ने कहा बहुत कुछ किया है। लेकिन यह इम्तिहान का काम उन को मिला। उस इम्तिहान में फेल हो गये।

लाला अचिन्तराम : मैं ने इस चीज़ को सुना और आपने दो तीन बार इस को दुहराया। मैं भी बहुत सारी बातों से इतिफाक नहीं करता हूं। लेकिन मुनासिब बात यह है कि जितना गुनाह हो उस को गुनाह कहें, जितना सुआब है उस को सुआब कहें। क्या आप यह कह सकते हैं कि पंजाब में तकरीबन ५ लाख, सवा पांच लाख आदमियों को ज़मीन नहीं मिली ? आज सवा पांच लाख आदमी पंजाब में और पैप्सू में सैटल किये गये, उन को ज़मीन मिल गयी। ऐसे ही सवा दो लाख के करीब आदमियों को बंगाल में जमीन मिल गई। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह बात भी साफ है कि आज साढ़े चार लाख आदमियों को मकानात दिये गये। कौन आदमी इस से इन्कार कर सकता है।

एक माननीय सदस्य : फैमिलीज़ को दिये।

लाला अचिन्त राम : हां साढ़े चार लाख फैमिलीज़ को मकानात दिये गये। ऐसे ही बंगाल में भी सवा दो लाख के करीब आदमी बसाये गये। इस से कौन इन्कार कर सकता है। मैं समझता हूं कि हर चीज़ का बैलैंस्ड व्यू लेना चाहिये। ऐसे ही एक सब से बड़ी बात जिस को देख कर मुझे बड़ी खुशी होती है वह यह है कि ७७ हजार इस वक्त बेवा औरतें और बच्चे हैं, इनफर्म आदमी भी हैं

[लाला अचिन्त राम]

जिन की मुकम्मिल ज़िम्मेवारी गवर्नमेंट ने ली है । मैं और बातों को झूठा समझता हूं लेकिन मेरे दिल में सच्ची खुशी होती है उन ७७ हजार आदमियों की, औरतों बच्चों की, जिन की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ने खुद ली है । वह बिल्कुल बेबस हैं उन की ज़िम्मेदारी गवर्नमेन्ट के ऊपर है । मेरे ख्याल में यह बहुत बड़ी बात है । आप क्या इस को थोड़ी समझते हैं ? यह बड़ा भारी काम है ।

फिर आज एक लाख ६० हजार आदमियों को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने नौकरी दी । क्या यह बात थोड़ी है ? एक लाख ६० हजार आदमियों को लोन दिये, क्या वह बात थोड़ी है ? यों तो किसी भी बात की नुक्ताचीनी कोई कर दे । लेकिन सारी चीजों का बैलैंस्ड व्यू लेना चाहिये । जो विद्यार्थी यहां पढ़ने लगे उन की फीस माफ की, उन को स्कालरशिप दिये । जो बाहर गये उन को स्कालरशिप दिये । क्या यह बात थोड़ी है ? एक ही बात नहीं, ऐसी कई बातें हैं । खास तौर पर मैं कहता हूं कि रेलवे मिनिस्ट्री में १६ हजार आदमियों को गवर्नमेंट की मुलाज़िमत दी गई । गवर्नमेंट की मुलाजिमत के अन्दर लिया । उस के लिये १६ हजार का कोटा मुकर्रर किया गया और १६ हज़ार के १६ हज़ार पूरे ले लिये । रेलवे मिनिस्ट्री ने जो कार्यवाही की कि पूरे १६ हजार ले लिये, इस से मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई । मैं नुक्ताचीनी में कम नहीं हूं । उस में आप से ज्यादा हूं । वह बात नहीं है । लेकिन एक बात बैलैंस्ड होती है । देखिये जो अच्छी बात है उस को अच्छी कहें, जो बुरी बात है उस को बुरी कहें । मैं समझता हूं कि जो नक्शा इस वक्त है पांच वर्ष के बाद जितना काम भी रीहैबिलिटेशन की मिनिस्ट्री ने किया है उस के लिये मैं अपने दिल में महसूस करता हूं कि आप आज चाहे जो कह दें बट आइ एम प्राउड आफ इट । उन्हों ने अच्छा काम किया है । इस वक्त पांच वर्ष के अन्दर रीहैबिलिटेशन के मुतालिक जो इतना काम किया गया है वह बहुत काफी है और कम से कम मेरे दिल में खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि इतने हज़ारों की तादाद में मकान बने हुए हैं तो मेरे दिल में बहुत खुशी होती है । मैं पानीपत, सोनीपत और बम्बई में देखता हूं कि हज़ारों की तादाद में सफेद मकान बने हैं तो मेरे दिल में जो खुशी होती है उस को मैं छिपा नहीं सकता ।

तो इस तरह से सब चीजों पर आप बैलैंस्ड व्यू लें और फिर आप देखिये कि आया मिनिस्ट्री वाकई फेल्योर है या नहीं । आप नुक्ताचीनी करें लेकिन फेल्योर शब्द कहने में रुकिये । और कुछ कहिये, नुक्ताचीनी करिये, १० फी सदी कहिये, २० फी सदी कहिये, ४० फी सदी कहिये, ५० फी सदी कहिये, लेकिन फेल्योर हो गई यह न कहिये । मेरे कहने का मतलब यही है ।

सरदार हुक्म सिंह : तो फिर पूरा इत्तिफाक कर लें ।

लाला अचिन्त राम : आप को इजाजत कहने की है । लेकिन, माफ कीजिये यह न कहिये कि फेल्योर हुआ है ।

साथ ही मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट निकली तो इस रिपोर्ट के अन्दर मैं ने पहले भी अर्ज किया था कि यह जो इम्प्रैशन मिनिस्ट्री की तरफ से क्रियेट होता है कि तमाम काम खत्म हो गया, बैस्टर्न पाकिस्तान का प्रैक्टिकली काम खत्म हो गया यह ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि यह कहना शायद मिनिस्ट्री की तरफ से मुनासिब न हो । बेहतर बात यह होती, जो कहा गया होता कि काम बहुत हो गया है, लेकिन खत्म हो गया यह मुनासिब नहीं है । मैं प्रैजीडेंट साहब के रिमार्क को जैसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना बुरा नहीं समझता ।

उन्हों ने रिफ्यूजीज़ का जिक्र नहीं किया। वह बुरी बात थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। प्रैजीडेंट के ऐड्रेस में राष्ट्रपति जी ने रिफ्यूजीज़ का जिक्र नहीं किया, बुरी बात तो थी। लेकिन उस से इतना दुःख नहीं हुआ। उन्हों ने जिक्र नहीं किया, चुप तो रहे, लेकिन यह तो नहीं कह दिया कि सब ठीक है। अगर कोई बीमार है और बिस्तर पर है और आप कह दें यह तो अच्छा है तो कितना बुरा लगेगा। आप यह कहें कि हां इलाज हम कर रहे हैं तो उस को इतनी तकलीफ नहीं होती लेकिन यह कहें कि यह तो अच्छा हो गया, तकरीबन सारा मामला हल होगया, मैं समझता हूं कि इस से गलत-फहमी की गुंजायश है।

तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जो सब से बड़ी गरज़ हमारी रिहैबिलिटेशन की है वह यह है कि जितने आदमी आये हैं, ८० लाख आदमी, उन को रोटी मिल जाय, रोजी मिल जाये जिस से वे पेट भर सकें। हम ५०० आदमी यहां हाल में बैठे हैं। लेकिन अगर हम दस दिन यहां बैठे रहें, हम को रोटी न मिले मकान तो बड़ा अच्छा है, पंखे हैं, सब आराम है, लेकिन रोटी नहीं मिले तो क्या हमें शान्ति होगी। हरगिज शान्ति नहीं होगी। इसलिये मकान देने से शान्ति नहीं हो सकती, सुख नहीं हो सकता, रिफ्यूजी महज़ इस से रीहैबिलिटेट नहीं हो सकते। आप ने मकान तो एलाट कर दिये, लेकिन क्या इस के करने से उन को रोटी मिल गई। एक काफी तादाद, कोई १९ लाख आदमी ऐसे हैं कि जिन को पंजाब में अनइकनामिक होल्डिंग मिली है। और राजस्थान में वीरान ज़मीन मिली है। मेरे सामने राजस्थान के आदमी हैं उन को वहां वीरान जमीन मिली है। उस से कैसे उन का पेट भर सकता है, कैसे उन को रोटी मिल सकती है? उन को कर्ज़ा दिया गया बैल लेने के लिये। वहां बारिश हुई नहीं तो उन्हों ने बैल बेच दिये और वह रुपया भी खा गये और अब खाली बैठे हैं। अब आप की रिपोर्ट में कह दिया गया है कि इतने आदमियों को ज़मीन मिल गयी। ज़मीन मिलने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक गेनफुल आकुपेशन न हो, रोटी उन को न मिले, तब तक नहीं कह सकते कि वह रीहैबिलेटेट हो गये तो मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट में जो एक दो फिकरे हैं उन के बजाय चुप रहते, जैसे प्रेजीडेंट साहब रहे तो ठीक था।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात कही गई है कि १ लाख ६० हजार आदमियों को जगह मिलीं। मिली होंगी। लेकिन कितने दिनों के लिये। दो महीने के लिये चार महीने के लिये। फिर वही बेकार हो गये। तो इस तरह से नारा लगा लेना कि १ लाख ६० हज़ार आदमियों को नौकरी मिल गई मुनासिब नहीं है। लोन के बारे में कहा गया है कि १ लाख ६० हज़ार आदमियों को लोन मिले। ५०० रुपये के मिले, १०० के मिले या २०० रुपये के मिले लेकिन जब तक दूसरा लोन मिला वह पहला खा गये फिर वही बेकार बैठने लगे। इस तरह की बात है। इस वास्ते यह कहना कि ज़मीन मिल गई एम्प्लायमेंट मिल गया, लोन मिल गया, इन तमाम बातों की हद है। आप ने बहुत अच्छा यह काम किया है, काबिले तारीफ है। लेकिन उस से आप का इतना हौसला बढ़े कि आप कहें कि काम खत्म हो गया है, मैं कहता हूं कि यह बेइन्साफी है। यह असत्य है, सत्य नहीं है, यह तो अनट्रूथ है. यह मुनासिब नहीं है और इस से काई इत्तिफाक नहीं करता .....

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसा कहां लिखा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस रिपोर्ट में ऐसा कहां लिखा है यह तो ज़रा बतला दीजिय ?

लाला अचित राम : बहुत खूब, लीजिए मैं आप को पढ़ कर सुनाये देता हूं :

[लाला अचिन्त राम]

"पश्चिमी पाकिस्तान से उजड़े कृषिकों की बड़ी संख्या को बसा हुआ समझना चाहिए।"

आप को क्या हक है ऐसी बात कहने का कि .....

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): अग्रीकलचरिस्ट्स के बारे में है।

लाला अचिंत राम: मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि उन को जमीन मिली ठीक है लेकिन सिर्फ इस वजह से कि चूंकि उन को ज़मीन एलाट हो गई है, आप समझें कि उन को रोटी मिल गई है, मेरी नाकिस राय में तो ऐसा समझना ठीक न होगा। क्या वह ऐसा कह सकते हैं?

क्या हम कह सकते हैं कि वे बस गये हैं? मुझे तो ऐसा कहने का साहस नहीं। कोई माननीय मंत्री या कोई और यदि चाहे तो चाहे कहे।

खैर मौलानासाहब भी अब तशरीफ लाये, और जो मैं पन्द्रह मिनट से गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा था वह सब बेकार गया। बहरहाल मै तो अपने मिनिस्टर साहब की खिदमत में कुछ चन्द बातें कम्पेनसेशन के बारे में कह देना चाहता हूं मेरे पास वक्त थोड़ा है। कम्पेनसेशन के बारे में आज जो यह बहुत सारी दिक्कतें पाई जाती हैं यह तो तभी हल होंगी जब आप मुआविजा दे देंगे और इस में भी कोई शक नहीं कि मुआविज़ा देने के बारे में आप का कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट है और गोपालस्वामी आयंगार का कमिटमेंट है और इस सम्बन्ध में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किये थे, वह मैं समझता हूं कि बड़े माकूल थे। उन्हों ने एक सवाल के जवाब में बतलाया था कि हम कम्पेनसेशन अपनी माली हालत को देखते हुए देंगे, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक बात है। अपनी ताकत से बढ़ कर गवर्नमेंट रिफ्यूजीज़ को कोई मुआविजा दे, यह मुनासिब नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो मुआविजा देने की बाबत कहा, वह ठीक और मुनासिब है। अब तक करीब पांच लाख क्लेमेन्ट्स के क्लेम्स वैरिफाई हुए हैं। एक सौ करोड़ की इक्वैक्वी प्रापरटी है और लोगों का बाकी चार सौ करोड़ रुपया पूरा करना है मैं अपने दिल से अक्सर पूछता हूं कि क्या बात कहूं जिससे लोगों को तसल्ली हो जाये। मैं यह कहने को तैयार हूं कि पांच सौ करोड़ में से आप ५० करोड़ काट दें, १०० करोड़ काट दें २०० करोड़ भी काट दें, लेकिन आखिर उन के क्लेम्स को आप कहां तक और किस लिमिट तक काटेंगे?, आप रुपये में चौदह आने कहें, १३ आने कहें १२ आने कहें या ११ आने ही कहें लेकिन कहीं तो रुककर इस का फैसला करना है और उन के क्लेम्स को डिस्पोज़ आफ करना है। ईस्ट पंजाब और पैप्सू में मैं आप को बतलाऊं कि उन लोगों को, जो १०० एकड़ जमीन पीछे छोड़ कर इधर आये थे, उन को ६६ परसेंट ज़मीन मिली है, अर्बन प्रापर्टी के बारे में भी आप ६६ परसेंट दीजिये, ६५ परसेंट दीजिये, ६४ परसेंट दीजिये, ६० परसेंट दीजिये मैं कहता हूं कि आप पचास परसेंट ही दें आखिर रुपये में आठ आने से कम क्या देंगे? कोई मुनासिब बात कीजिये और उन को पे करिए, आप के पास क्लेम्स के फिगर्स मौजूद हैं आप देखेंगे कि उन में ९९ परसेंट क्लेम्स ऐसे लोगों के हैं जिन की तीस हज़ार से कम जायदाद है।

मौलाना आज़ाद: ज्यादातर वही हैं कि जिन की बहुत कम रुपये की जायदाद है।

लाला अचिंत राम: इसलिये मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट जो भी कंट्रीब्यूशन

करेगी, वह गरीबों के लिये करेगी और उस को यह ख्याल करने का मौका नहीं होगा कि हम दौलतमन्दों को रुपया दे रहे हैं। गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन करे, और वह रुपया गरीबों को दे। इस सम्बन्ध में मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूं कि कम्पेनसेशन पे करने में जल्दी कीजिये, काफी वक्त बीत चुका है और आज हकीकत यह है कि जितना थोड़ा बहुत पैसा शरणार्थी भाई अपने साथ लाये थे वह सब खत्म कर चुके हैं और अब वह पापर हो रहे हैं। मैं आप को अपने अनुभव के बल पर बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस कमेटी के अन्दर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो काम मुझे सुपुर्द किया था, तो पहले हमारे पास जितने आदमी अपनी अर्ज़दाश्त ले कर आते थे, आज उस से तीन गुना आदमी आते हैं, आखिर इस की वजह क्या है ? वजह साफ़ जाहिर है कि उन की मिज़री बढ़ गई है, यह जो करीब साठ क़रोड़ रुपया पाकिस्तान का साढ़े पांच साल में खर्च किया, वह बिल्कुल नाकाफ़ी रहा और वह हिसाब लगाइये तो मालूम पड़ेगा कि वह बीस रुपया साल भी नहीं पड़ता, यह कैसा रीहैबिलिटेशन है ? अगर मैं इस वक्त कोई सख्त बात कहता हूं तो मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब उस को सुन लेंगे, लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि मैं आप के काम को तसलीम नहीं करता। मैं आप के काम की तारीफ भी करता हूं। और आप के मैहकमे ने पांच, छै साल इस के लिये काम किया और गो काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया, ताहम आप के मैहकमे ने सेवाभाव से और खिदमत के भाव से अपना काम किया और मैं उन सब की दाद देता हूं, लेकिन जब मैं आप के मैहकमे के साथ गोलियों और शूटिंग को वावस्ता देखता हूं तो मेरे दिल को ठेस पहुचती है, कम से कम मुझे वह चीज़ नागवार लगती है। मैं नहीं समझता कि वह मैहकमा जिस ने साढ़े पांच वर्ष तक उन के लिये काम किया और १७८ करोड़ रुपया खर्च किया, वे बेचारे रिफ्यूजीज़ गोलियों से मारे जायें। योल कैम्प की बाबत मैं आप को बतलाऊं कि वहां पर रिफ्यूजीज़ रहते हैं, और यह शेख अब्दुल्ला साहब ने बड़ी मेहरबानी फ़रमाई और वहां पर उन के लिये ज़मीन ली गयीं और श्री अजीतप्रसाद ने कोशिश की और पन्द्रह बीस हज़ार आदमी चले भी गये, लेकिन आप जानते हैं और मुझे स्वयं तजुर्बा है कि हर एक आदमी को बहादुर नहीं बनाया जा सकता, बहादुरी की नियामत खुदा की तरफ से दी हुई होती है और मुझे याद है कि पाकिस्तान बनने के बाद जब सब आदमी और कांग्रेसी वहां से इधर आ गये तो बहुत से आदमी ऐसे भी थे जो कहते थे कि देखिय हम पाकिस्तान में रहने के लिये तैयार हैं आप के साथ गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि हम अपने बच्चों और औरतों को वहां भेजें। ऐसा ही वहां भी हुआ, जो आदमी वहां चले गये, उन्हों ने बड़ा अच्छा किया लेकिन सारे आदमी तो ऐसे बहादुर नहीं होते, कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं और अपनी जान को बचाते हैं और समझते हैं कि हम पर हमला होगा। हम आप के साथ नहीं जा सकते। हम अपने बच्चों और औरतों को नहीं मरवा सकते। तो आप सोचें और गौर करें कि उन के लिये क्या करना है। ज़मीन हमारे पास उन को देने के लिये है नहीं। इस में कोई शक नहीं, लेकिन उन भाइयों का कहना है कि हम मानते हैं कि भारत सरकार को हमारे लौट से हमदर्दी है, लेकिन इतना तो कीजिये कि अगर ज़मीन ज्यादा नहीं दे सकते तो उस के बजाय हमें आप एक हजार रुपया लोन दे दीजिये ता कि हम उस से ज़मीन खरीद लें, हम खुद अपने आप जमीन तलाश कर लेंगे, जमीन जिस वक्त तक कि हम वह रुपया अदा नहीं कर देते गवर्नमेंट की रहेगी, लेकिन ज्योंही हम रुपया अदा कर देंगे, वह जमीन हमें दे दी

[लाला अचिन्त राम]

जाय। इस के अलावा मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि हमारा और हमारे अधिकारियों का उन के साथ सलूक और ट्रीटमेंट हमदर्दी और सहायता का होना चाहिये। योल कैम्प में रिफ्यूजीज़ का जो झगड़ा हुआ, उस के मुताल्लिक इखतलाफ़ हो सकता था। लेकिन सिचुएशन को ठीक तरह से टैक्ट से हैंडिल नहीं किया गया और नतीजा यह हुआ कि पांच आदमी फ़ायरिंग से मरे जिन में दो औरतें और बारह वर्ष के बच्चे हैं, २२ आदमी ज़ख्मी हुए जिन में दस औरतें शामिल हैं। म जानता हूं कि आप ने कोशिश की लेकिन अगर बेहतर तरीके से आप के अफ़सरान ने हैंडिल किया होता तो यह नतीजा न होता। बिजली, पानी और राशन तक उन रिफ्यूजीज़ का बन्द कर दिया गया। अगर इतनी सख्ती न दिखलाते तो सिचुएशन ऐसी न होती। उस सिलसिले में एक इन्क्वायरी कमेटी बैठी हुई है और वह इस कांड के ऊपर जांच कर रही है। आप ने और आप के मैहकमे ने पिछले पांच वर्ष रिफ्यूजीज़ की खिदमत का काम किया, और जो कुछ आप ने कर दिखाया उस पर हम सब को फख्र है, लेकिन आखिर में आ कर जो हम ने इस तरह औरतों और मर्दों को गोली से मारा उस से हमारे पर एक बदनुमा धब्बा जरूर लग गया है। मैं आखिर म, अगर मैं ने कुछ हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर दिये हों, तो क्षमा चाहता हूं और आप से फिर एक बार अपील करता हूं कि आप इस मसले को ठीक से और जल्दी से हल करें।

श्री बी० के० दास: मैं पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के कुछ मामलों को सदन के सामने लाना चाहता हूं। तथ्य-निधान समिति की रिपोर्ट सामने होती तो अच्छा था, परन्तु हमें अपना निर्णय पश्चिमी बंगाल द्वारा पड़ताल की गई बातों के आधार पर नहीं करना चाहिये। हमें वर्तमान तथ्यों को लेना चाहिए और हम अपने अनुभव से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की अवस्था का विचार कर सकते हैं।

श्रीमति कृपलानी ने शरणार्थियों की नौकरी के बारे में कहा, मैं उस से सहमत हूं। परन्तु देश में बेकारी की अवस्था का ध्यान करते हुए हमें बहुत ऊंचे ध्येय नहीं बनाने चाहिएं। देश की बेकारी की अवस्था को देखते हुए हमें सब शरणार्थियों को उचित काम धन्धे में लगा सकने की अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए। तो भी हमारे शरणार्थियों में कृषिक और अकृषिक वर्ग के लोग हैं, जिन में से हम कृषिक वर्ग के लोगों को बसाने में अधिक सफल हो सकेंगे।

माननीय मंत्री ने बतलाया कि पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों को बसान के लिए अधिक स्थान नहीं है, तो मैं सुझाव देता हूं कि उन को प्रान्त से बाहर जगह दी जाय। बिहार और उड़ीसा में स्थान लेने के असफल तथा अर्ध सफल प्रयत्न किये गये हैं। पश्चिमी बंगाल से बाहर शरणार्थियों के न बसने की इच्छा को मैं समझता हूं। परन्तु जब वहीं के शरणार्थी प्रसन्नता से अण्डेमान में बस सकते हैं, तो प्रयत्नपूर्वक ये भी पश्चिमी बंगाल से बाहर बसाये जा सकते हैं। मैं बिहार सरकार को शरणार्थियों के साथ दया तथा सद्भाव रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

हौड़ा स्टेशन पर शरणार्थियों की दुर्दशा को देखकर दुख होता है। परन्तु मैं ने अनुभव किया है कि बहुत मात्रा तक उड़ीसा का जलवायु बंगाल के समान होने के कारण वहां शरणार्थी अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। दुख देने वाली बात यह है कि तथ्य-निर्धान समिति इस की जांच में नहीं जायगी कि इन परित्यागों के क्या कारण हैं। ऐसे मामलों की प्रतिशति अधिक नहीं है। परन्तु यदि योग्य प्रबन्ध और उड़ीसा सरकार की सहानुभूति से उड़ीसा

तथा उस के साथ वाले प्रान्तों में अधिक उत्तम प्रबन्ध किये जायं, तो स्थान प्राप्त करना कठिन नहीं है ।

इन व्यक्तियों को बाहर स्थानों में भजने के लिए अण्डमान की तरह खेती योग्य भूमि, पीने के पानी, तथा छोट बच्चों की शिक्षा, तथा भिषज सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे विचार के अनुसार इन बातों का ध्यान रखते हुए पश्चिमी बंगाल से बाहर इन को बसाने का प्रयत्न करना चाहिए । पश्चिमी बंगाल के कृषि-विभाग ने वहां २.६५ लाख एकड़ पृथ्वी का जो खेती के योग्य है, अनुमान लगाया था । इन कठिन दिनों में इस पृथ्वी के विकास के लिए अधिक खर्च होगा—इस कारण हम शरणार्थियों को प्रान्त से बाहर बसाने के लिए परिश्रमपूर्वक कार्य करना चाहिए ।

अकृषिक वर्ग के लोगों को जो साधारणतया मध्यम वर्ग के हैं, कार्य में नियोजित करने का प्रश्न भी गम्भीर है । ये लोग प्रान्त के लोगों की अपेक्षा अधिक पढ़े लिखे हैं । और वे नौकरी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु सफल नहीं हुए हैं, जो हमारे लिए एक अलग समस्या है । मुख्य धन्धों में लगे हुए लोगों में ४३ प्रतिशत अनुपयुक्त हैं । और दूसरे धन्धों में लगे लोग भी अनेक धन्धों में आना चाहते हैं, जिन में अनुपयुक्त लोगों की मात्रा अधिक है । अतः अदलाबदली की बहुत संभावना है । अकृषिक लोगों को धन्धा मिल जाने के पश्चात यह काम हाथ में लिया जा सकता है ।

बेकार लोगों को उधार आदि देने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि दामोदर की नदी-घाटी क्षेत्र में जहां उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं, वहां इन लोगों को नियोजित करने के प्रयत्न किये जायें ।

सेवाओं में इन की भरती के बारे में मेरा कहना है कि अखिल भारतीय सेवाओं म अर्थात् रेल आदि में इन को पर्याप्त मात्रा में लिया जावे । जहां नौकरी प्राप्त कर के ये अपने घर से दूर जाने को भी उद्यत हो जायेंगे । पश्चिमी बंगाल में पहले ही नौकरी ढूंढने वालों की भीड़ है । अतः इन युवकों को बसाने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए । अब मैं समाप्त करता हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : पुनर्वास मंत्रालय की रिपोर्ट पत्र पर अच्छी अवश्य है, परन्तु यह गलत है । चित्र की एक दिशा छपाई गई है । पश्चिमी पाकिस्तान से ४९.०५ लाख और पूर्वी पाकिस्तान से २५.७५ लाख शरणार्थी आए बतलाए जाते हैं परन्तु हम सब को पता है कि पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों की संख्या अधिक है । इस के बाद मंत्रालय यह मानता है कि.....

श्री ए० पी० जैन : जन संख्या के बाद के समय की ५.४ लाख है—यह रिपोर्ट में दिया गया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं कहता हूं कि यह ५.४ लाख से अधिक होनी चाहिए । पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या इतनी ही गंभीर है जितनी पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की थी । मैं सरकार द्वारा किये कार्य की निन्दा नहीं करता । यह प्रान्तीय शक्ति से बाहर की समस्या है । अतः मैं भारत सरकार, तथा मंत्री, और यदि प्रधान मंत्री यहां होते तो उन से भी, अपील करता कि इस समस्या को युद्ध के समान लेना चाहिए और उसी माप से सुलझाना चाहिए । आप को ज्ञात है कि कुछ वर्ष पहले लार्ड लिनलिथगो की वायसरायशिप में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिस में ३० लाख व्यक्ति मर गये । लार्ड वेवल ने इसे युद्ध माप से उठाया और दुखदायी अकाल समाप्त हुआ । मैं चाहता हूं कि सरकार एक आयोग निश्चित करे, जो पता लगाये कि कितने व्यक्ति बसाये गये और कितने नहीं, और केन्द्रीय सरकार एक लायज़न

[श्री एन० सी० चटर्जी]

आफिसर गैर सरकारी समिति के आधीन काम करने के लिए भेजे, उस समिति में सब विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हों, ताकि योग्य समवाय तथा सहकार्य हो सके, और सरकार तथा जनता का सहयोग प्राप्त हो सके।

आप को ज्ञात है कि बंगाल इस बोझ को झेल नहीं सकता। अविभाजित बंगाल का तीसरा भाग रह चुका है और सुरक्षा की प्रतिज्ञाओं के बाद भी हिन्दुओं को भगाया जाता है। और पश्चिमी बंगाल को उन का बोझ झेलना पड़ता है। मैं सरकार के कार्य की निन्दा के भाव से नहीं कहता, तो भी पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने के लिए ११ करोड़ और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियो के घरों के लिये ५० करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। अनुदान भी पूर्वी पाकिस्तान के लिए २१ करोड़ और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए ५५करोड़ दिये गये हैं। कार्य गम्भीर है अतः मैं सम्मिलित प्रयत्न के लिए अपील करता हूं।

मेरे माननीय मित्र ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को दूसरे प्रान्तों में बसाने के बारे में कहा। परन्तु इन को बंगाली बोलने वाले प्रदेश में, जहां वे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा की उन्नति कर सकते हैं, वहीं रखना योग्य है अर्थात् उन को पुरुलिया, मनभूमि तथा सिंघवय में बसाकर। इन को बंगाल की सीमा के साथ बंगाली बोलने वाले प्रदेश में बसाएं, जिस से इस समस्या की पर्याप्त मात्रा म पूर्ति होगी।

शरणार्थी-शिविरों से दुख भरे समाचार मिल रहे हैं, कि भूख से लोग मरते हैं। माननीय मंत्री के पास गोल पारा जिले में कोकराझेरा क्षेत्र शरणार्थी-शिविर में ठहरे हुए शरणार्थियों की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आई है। ऐसी सूचना मिली है कि ११ व्यक्ति भूख से मरे, मुझे पता लगा है कि स्थानीय अधिकारियों ने भी बुरी तरह से प्रबन्ध किया है। स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार के बारे में हमें जांच करनी चाहिए। उन को स्थान लड़ाई झगड़े वाली जगह न दिये जायं। जब आसाम में उन के लिए पर्याप्त भूमि है तो उन को घनी आबादी में क्यों धकेला जाय। उन को ऐसी खुली जगह स्थान दें, कि उन को स्थानीय जनता से झगड़ना न पड़े।

क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दुख से कहना पड़ता है। सरकार कहती है कि क्षतिपूर्ति की जायगी। श्री आयंकार ने शरणार्थी सभा में सरकार की ओर से कहा था कि क्षतिपूर्ति की जायगी, हो सकता है धन के रूप में नहीं, अपितु घर, सम्पत्ति, भूमि के रूप में की जाय। इस के बाद भी प्रतिज्ञायें की गईं और सदन की बैठक में भी घोषणा की गई।

श्री आर० के० चौधरी: पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के बारे में ?

श्री एन० सी० चटर्जी: उन की क्षति-पूर्ति के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया और न ही प्रतिज्ञा की गई। श्रीमति सुचेता कृपलानी ने अभी कहा कि उच्च स्तर पर क्षतिपूर्ति की योजना विचाराधीन है। यदि वास्तव में कोई योजना बनानी है तो बजट के पहले यह निश्चित करना चाहिए कि कितनी क्षतिपूर्ति की जायगी। सदन को क्यों धोखे में रखा जाता है ? जनता को क्यों नहीं बतलाया जाता कि इस वर्ष इतना देंगे, इस से अधिक नहीं। क्या आप को इस का निर्णय नहीं करना चाहिए ? आप कहते हो कि निष्क्राम्य सम्पत्ति तथा क्षतिपूर्ति के लिए विधान बनाया जा रहा है। शरणार्थी आप से पूछना चाहते हैं कि कब उस को बनाओगे और कब तक आशा रखी जाय ? पूर्वी बंगाल से ४० लाख लोग आ गये हैं। सरकार को पूर्वी पाकिस्तान के तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों में भेद नहीं

समझना चाहिए और इन की भी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को घोषणा करनी चाहिए। जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया है उन की क्षतिपूर्ति अवश्य होनी चाहिए, और सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि कब तक वे इस योजना को पूर्ण करेंगे और वे कितना देना चाहते हैं। हम ने पत्र में पढ़ा कि २½ करोड़ रुपया इस वर्ष खर्च किया जाने वाला है। परन्तु क्या मंत्रिमण्डल ने इस का निर्णय कर लिया है। सरकार यह घोषणा करे कि पूर्वी बंगाल के तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बराबर ही समझा जायगा। और शरणार्थियों की क्षतिपूर्ति के लिए भी निश्चित घोषणा की जानी चाहिए।

श्री दशरथ देव: छः वर्षों से शरणार्थी समस्या बड़े भयानक रूप में हमारे सामने है और इसे हल करने के लिए क्रोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं। परन्तु केवल रुपये खर्च करने से काम नहीं बनता। जिस पद्धति से सरकार रुपया खर्च कर रही है इस से समस्या का अन्त नहीं होगा। इस का कारण योग्य योजना का अभाव, राजकीय कर्मचारियों में नुकस, राजनीतिक दलों से सहयोग लेने में सद्भावना का अभाव है जिस का उदाहरण त्रिपुरा का है। जब पासपोर्ट की सहूलियत के कारण लोग वहां आये तो मैं जिला मैजिस्ट्रेट से मिला और उसे अपने साथियों की सहायता प्रदान की। परन्तु उस ने कहा कि हमारे पास पुलिस और फौज की सहायता है—हम जनता की सहायता नहीं चाहते। सदन में जनता के सहयोग की बात की जाती है पर वास्तव में जन-सहयोग को स्वीकार नहीं किया जाता। मैं कई स्थानों में गया परन्तु वहां कृषिकों के निवास की बुरी अवस्था है। अर्थात् पाबिया-चारा, राजधापुर इत्यादि। और ये वे स्थान हैं जहां के उत्तम प्रबन्ध की सरकार ने घोषणा की है। परन्तु इन में भूख से मृत्यु की घटनाएं भी काफी हैं। गान्धीग्राम उपनिवेश में १९५२ में भूख से १५० मरे, वर्माचारा में २५ मरे, आर्य समाज कालोनी में १०० मरे, और चार महीनों में आमताली और अरुन्धती नगर में ३०० मरे। शरणार्थियों को इन कालोनियों में जाने के लिए कहा गया कि उन को भूमि तथा घर दिये जायेंगे। परन्तु उन को कुछ नहीं दिया गया। केवल टिल्ला भूमि के दो कानीस, अर्थात् उच्च भूमि दी गई। उस से कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। उन को चार कानी देने को कहा गया था, परन्तु उन को बीजी जाने वाली भूमि दिखलाई भी नहीं गयी। और जो शरणार्थियों को धन दिया जाता था वह भी बड़े अनियमित रूप में दिया गया।

मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि शरणार्थियों को उधार तथा घर बनाने के लिए किस प्रकार से धन दिया गया। उन को दो कानी भूमि दी गई और प्रत्येक को कृषि के लिये ७५० रुपये तथा घर बनाने के लिए २५० रुपये देने की प्रतिज्ञा की गई थी, परन्तु उन को यह दिया नहीं गया है। भगवान भट्टाचार्य को ९५० रुपये की प्रतिज्ञा की गई थी और राधिका रंजन को भी इसी प्रकार कुछ प्रतिज्ञा की गई थी, परन्तु उन को केवल ३६० और १४५ रुपये क्रमशः मिले हैं। त्रिपुरा सरकार इस में संतोष मानती है कि वहां शरणार्थी समस्या का निदान किया जा चुका है। परन्तु सदन की बैठक में त्रिपुरा को तथ्य-निधान समिति की जांच में सम्मिलित करने का कोई विचार ही नहीं किया गया।

पाबिया चारा कालोनी में राम कृष्ण शर्मा का उदाहरण है। उन को रिहैबिलीटेशन विभाग ने वहां बसाया था। उन्हों ने जब कृषिक-लोन खर्च कर के भूमि को बोया, तो उन से १००) प्रति कानी सलामी मांगी जाने लगी, जो उन के लिये देनी असम्भव है। यह झगड़ा अभी भी चल रहा है। कुछ लोगों ने मुसलमानों के साथ परस्पर अपनी भूमि की

[श्री दशरथ देव]

अदला बदली की थी। परन्तु अब उन को स्वीकार नहीं किया जा रहा। इस की भी जांच होनी चाहिए। त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के कासलंग से ३०,००० वन जातीय शरणार्थी आये हैं और वे दो वर्ष से वहां रह रहे हैं। त्रिपुरा सरकार उन को शरणार्थी स्वीकार नहीं करती; वे भूख से मर रहे हैं, जंगलों में रहते हैं, और उन को कोई उधार नहीं दिया गया है। इस प्रकार से मृत्यु संख्या बढ़ रही है। साखम टीला, राजधोर तिसामिना, लांगर और धर्म नगर आदि में ४५०० परिवार रहते हैं जिन को शरणार्थी भी स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार गारो की पहाड़ियों में १०,००० हाजंग शरणार्थी हैं, जिन के नाम तक भी शरणार्थियों की सूचि में नहीं दिये जाते। तो उन्हों ने अपनी पीपल रिलीफ कमेटी बनाकर धन एकत्र करने आपस में बांट लिया, और अब सुना है कि उन के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, उन को पाकिस्तानी गुप्तचर समझ कर। सरकार इस मामले में जांच पड़ताल करे और उन को मरने से बचाये।

अन्त में मैं कुछ सुझाव रखता हूं, जिन्हें सरकार इन समस्याओं के निदान के लिये विचारे।

शरणार्थियों को कृषि और घरों के लिये भमि दी जाय, घर बनाने के लिये आवश्यक धन दे, और बोने की ऋतु से पहले कृषि-ऋण दिये जायं और घर बनाने के लिये भी धन दो किश्तों में दिया जाय, और निर्वाह-मदद भी खेती होने तक दी जाय; और ज्यों ही वे शरणार्थी कालोनी में बसने प्रारम्भ हों, उन को कृषि के योग्य भूमि भी दी जाय। भूमि को भी खेती योग्य बनाया जाय, जो त्रिपुरा में संभव है। और अन्त में मेरा सुझाव है कि सरकार सरकारी तथा गैर सरकारी, स्थानीय तथा शरणार्थी प्रतिनिधियों की सक्षम समिति बनाये, जो स्थानीय लोगों की सहानुभूति के साथ काम कर के झगड़ों को समाप्त कर सके।

प्रो० लाश्कर (कचार-लुशाई पहाड़ियां--रक्षित--अनुसूचित जातियां): मैं ने रिहैबिलीटेशन मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ी। वास्तव में विभाग और विभाग के मंत्री मान के अधिकारी हैं। मैं कच्छार जिले का वर्णन करूंगा। मैं ने मंत्री के साथ तथा श्री अमजद अली के साथ इलाके का दौरा किया था। श्री अमजाद अली ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, यह बात गलत है।

श्री अमजद अली: मैं ने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी। पत्रों से पता चला कि कोकराझार शरणार्थी कालोनी से रिपोर्ट मंत्री के पास आई थी। मैं ने रिपोर्ट नहीं दी।

श्री आर० के० चौधरी: माननीय मंत्री गोलपारा से आये हैं, जहां कोकराझार शिविर स्थित है।

प्रो० लाश्कर: आसाम सरकार शरणार्थियों को ८ से १० बीघे तक भूमि दे रही है। उन के पास अधिक कृषि-योग्य भूमि है भी नहीं। आसाम को भूकम्पों और बाढ़ों से उजड़े व्यक्तियों को भी बसाना है। फिर भी आसाम सरकार ने शरणार्थियों को भूमि दी है। जहां तक आसाम सरकार द्वारा बसाने के काम का सम्बन्ध है, यह संतोष-पूर्ण है। यदि आसाम सरकार को पर्याप्त धन दिया जाय, तो वे शीघ्र ही इस समस्या को हल कर सकती है। अब मैं कछार जिले को लेता हूं, जिस का नाम आकस्मिक अवसरों में सब से पहले आता था। जब जापानी सिपाहियों ने हमारे जिले में प्रवेश किया, तो हमें प्रतिदिन दो तीन बार खाइयों में जाना पड़ता था। और जब रैफरैण्डम द्वारा सिलहट पूर्वी पाकिस्तान में

गया, तो भी सीमा आयोग द्वारा हमारा जिला बचाया गया। और ७२ चाय के बागों को बन्द कर के ४०,००० मज़दूरों को कार्य से छट्टी मिली थी। बसाने की समस्या कछार जिले की प्रमुख समस्या है। अब इस का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार के हाथों में आ गया है। यह सीमा पर का जिला है, अतः यह विधि और नियम वांछनीय है। राज्य सरकार अच्छी तरह से भूमि की समस्या को हल कर सकती है। मैं कछार जिले में रिहैबिलिटेशन के काम को लेता हूं। वहां १९५१ की जनसंख्या के अनुसार ९३,००० व्यक्ति उजड़े हुए थे। कुछ लोग उस के बाद भी आए और अब संख्या एक लाख के लगभग है। कछार जिले का रिहैबिलीटेशन भी पश्चिमी बंगाल जैसा ही होना चाहिए। प्रति परिवार के खर्च पर विचार करने से कछार जिले में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये अधिक धन का उपबन्ध होना चाहिये।

कछार जिले की आर्थिक अवस्था बिगड़ चुकी है। अधिक शरणार्थी आ जाने से वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गये हैं। बाढ़ों को भी रोकना आवश्यक है। बारक नदी में बाढ़ आने पर वर्ष में आठ महीने भर जिले का दो तिहाई भाग जल में रहता है। परन्तु इस को नियंत्रित करने की योजना पंच वर्षीय योजना में नहीं आई, जो विस्मय की बात है। पिछली दो फसलें बाढ़ से नष्ट हो गई, और स्थानीय लोग भी रक्षा-निमित्त जिले को छोड़ कर जा रहे हैं। यदि बाढ़ों को रोक लिया जाय, तो समस्या का निदान हो सकता है। केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है।

रिहैबिलीटेशन काम के बारे में शासकीय वृत्त अशुद्ध है। १९५१ की जन संख्या के बाद बहुत से लोग ऋण ले कर पाकिस्तान वापिस चले गये। आई० टी० ए० योजना के आधीन २०० परिवार, जिन को यहां बसाना था, अब उन को कहीं और बसाया जा रहा है। क्या यह आई० टी० ए० योजना की विफलता नहीं है? शरणार्थियों की कई बागों में बुरी अवस्था है—अतः आई० टी० ए० योजना की पूर्ण जांच पड़ताल होनी चाहिए।

एक और उदाहरण है—कि एक रिहैबिलीटेशन कंट्रोलर था, जिसे कोई कार्य-पालिका शक्ति नहीं थी, उस ने इधर उधर ऋण दे दिया। लोगों ने अशुद्ध लेख्य देकर ऋण ले लिये। शासकीय वृत्त में उन को बसा हुआ बतलाया गया है, परन्तु वास्तव में यह ऐसी बात नहीं है। जांच पड़ताल करने पर सब बातों का पता चल पावेगा।

अतः मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि तथ्य-निधान-समिति स्थापित की जाय जो इस दिशा में की गई उन्नति का विचार करे, और इस के लिये अधिक धन का उपबन्ध भी होना चाहिए तथा किश्त के अनुसार ऋण देने की नीति में भी सुधार होना आवश्यक है।

भूमि भी खेती करने वालों को नहीं दी जाती। कई व्यक्ति जिन्होंने व्यापार-ऋण लिया और वे वास्तव में खेती करते भी नहीं, उन को भूमि बांटी गयी है। और खेती करने तथा मछली पकड़ने वालों को योग्य पहुंच के न होने से भूमि नहीं दी गई। इस में भी सुधार होना चाहिए।

जिले में अनुसूचित जातियों के लोगों को बसाने के लिए हरिजन रिहैबिलीटेशन बोर्ड का प्रादेशिक कार्यालय खोलना चाहिए। क्योंकि सब शरणार्थी कृषि पर बसाये नहीं जा सकते, अतः उन के लिये पोलीटैकनिक स्कूल, खोलने चाहियें। कारण पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, अतः कर्मचारी बढ़ाने और स्कूलों को अनुदान देने के लिये उपबन्ध करना चाहिये। कछार जिले की शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों और कालेजों को भी अनुदान देने चाहिएं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं इस हाउस में तकरीरें सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। मैं ने इस किताब को, मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलीटेशन की रिपोर्ट को शुरू से आखीर तक देखा, और सारी किताब के मजमून को पढ़कर कौन ऐसा शख्स है जो यह महसूस न करे कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना शानदार काम डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के वास्ते किया है जिस की मिसाल किसी दूसरे मुल्क में मिलना मुश्किल है। मैं ने पिछले पांच वर्षों में अपने मिनिस्टर साहबान को काम करते देखा है, हमारे सरदार पटेल और पंडित नेहरू पांच पांच सौ आदमियों से रोजमर्रा मुलाकात करते थे। श्री नियोगी जी को, श्री मोहन लाल को, और मौजूदा मिनिस्टर श्री अजित प्रसाद जैन को निहायत जांफ़शानी से, मेहनत से और मुस्तैदी से रात दिन काम करते देखा है। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि अगर सुपरह्यमन नहीं तो कम से कम जितनी ह्यूमन ताकत किसी शख्स में हो सकती है, सभी आदमियों ने, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, और स्टेट गवर्नमेन्ट्स ने भी उतनी ताकत से काम किया है। इस की जितनी भी दाद दी जाय कम है। उन्हों ने रिफ्यूजी लोगों के लिये कानून पास किये जिस में रिफ्यूजीज़ को नौकरी देने का सिलसिला जारी किया, इस गवर्नमेंट ने लाखों आदमियों को नौकरी दी भी। इतने मकानात उन के लिये बनवाये गये कि दिल्ली की तो शक्ल ही बदल गई है। इस रिपोर्ट में मौजूद है कि १७८ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अगले साल भी ३१ करोड़ रुपये खर्च करने की तजवीज़ मौजूद है। जिधर निगाह डालता हूं उधर मालूम होता है कि इन पांच सालों में कितनी मेहनत से काम हुआ है। डैट लेजिस्लेशन को देखिये, सैपरेशन आफ़ इवैक्वी प्रापर्टी को देखिये। कितने कितने मरहले और मुश्किल काम इस मिनिस्ट्री ने किये। उन को मैं दोहरा नहीं सकता। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं, और यह मैं बिना किसी मेन्टल रिजर्वेशन के कह रहा हूं। मैं किसी मिनिस्टर साहब की खुशामद नहीं करना चाहता, न मैं कभी गवर्नमेंट की खुशामद करता हूं। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने आला पैमाने पर शानदार हाई रेकार्ड का काम किया है जिस का हरएक हिन्दुस्तानी को घमंड हो सकता है। लेकिन जब इतने काम को देखता हूं और दूसरी तरफ उस के नतीजे को देखता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को दाद दूं या उन को गालियां पेश करूं।

जिस कन्स्टिटुएन्सी से मैं आता हूं, उस कान्स्टिटुएन्सी में फ़रीदाबाद वाकिआ है वहां के मकानों को जाकर देखिये, जब सड़क पर मोटर में गुजरते हैं तो मालूम होता है कि कहीं से कोई फ़ेयरी लैंड आ गया है। इतने सफ़ेद-सफ़ेद मकान कैसे बना दिये गये ? एक एक मकान की कीमत २,७०० रुपये से ले कर १९०० रुपये बताई जाती है। उन में आप ने इन रिफ्यूजियों को बसाया है, लेकिन उन मकानों में रहने वाले जो हैं वह उस हिस्से से आये हैं जहां उन के पास अच्छे मकान थे। वह महसूस नहीं करते कि इतनी क़ीमत के मकान उन के लिये बनें। लेकिन जहां वह आज आबाद हैं यानी ज़िला गुड़गांवा में, वहां १५० रुपये में छप्पर का मकान बना करता था। उन के वास्ते हमारी गवर्नमेंट ने मुकाबले में महल बनवा रक्खे हैं। मगर इन महलों में रहने वालों की हालत मैं आप से क्या बयान करूं ? अगर उसे अर्ज़ करूंगा तो आप का दिल पिघल जायेगा। बेकारी से तंग आ कर वहां के तीन आदमियों ने मेरे घर पर आ कर भूख हड़ताल कर दी। वह कहते हैं कि उन के पास काम नहीं है। फ़रीदाबाद के लोगों के पास जिन के वास्ते गवर्नमेंट ने इतना काम किया, जिन के लिये हमारे मेहरचन्द खन्ना साहब

और पंडित नेहरू दिल में दर्द रखते हैं, खास कर एन० डब्लू० एफ० पी० के लोगों के लिये, उन को वहां बसा दिया गया। लेकिन वह यहां एम० पीज० के मकानों पर आ कर भूख हड़ताल करते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं ने उन को हटाया। मैं ने उन से कहा कि जाओ श्री अजित प्रसाद जैन के मकान पर हड़ताल करो, वही कुछ कर सकते हैं। मेरी निहायत अदब से गुजारिश यह है कि मैं फ़रीदाबाद के बोर्ड के प्रेजिडेन्ट के पास गया। उन्हों ने मुझ से वायदा किया कि वह उन लोगों के वास्ते काम मुहैया करेंगे मैं श्री अजित प्रसाद जैन की खिदमत में गया, आखिर एम० पीज० कर ही क्या सकते हैं, सिवाय इस के कि दर दर की ठोकरें खाते रहें। जैन साहब ने सारी कहानी सुनी, हमदर्दी जाहिर की। उन्हों ने कहा कि शिमले से बड़ा भारी प्रैस लायेंगे और उन को काम मिल जायेगा। पांच सौ एकड़ जमीन देंगे और काम मुहैया करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी इन्सान को रिहैबिलिटेट करना बहुत मुश्किल चीज़ है, और अब जो फ़रीदाबाद की कोआपरेटिव सोसाइटी थी उस का काम भी बन्द हो गया और वहां के लोग बिल्कुल फ़ाके मस्त हैं। मैं जब पलवल में जाता हूं तो लोग शिकायतें करते हैं कि हमें हाउसेज़ तो मिल गये, लेकिन वह सब के सब बेकार हैं। हमारे पंजाब में सरदार उज्जल सिंह तशरीफ ले जाते हैं, हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं, मैं शर्म के मारे उन लोगों से पास नहीं जाता। मैं पलवल जाना चाहता हूं लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उन की बात को सुन सकूं। अब तक हम उन को काम नहीं दे सके। मैं गुड़गांव में जाता हूं वहां श्री अजित प्रसाद जैन तशरीफ ले गये, लोगों ने सत्याग्रह किया उन्हों ने हमदर्दी जाहिर की और हुक्म किया कि शमशान भूमि दूर ले जाई जाये और मकानात की जगह दी जाये। सरदार उज्जल सिंह साहब गये वह भी हुक्म दे आये। लेकिन आज तक वहां टस से मस नहीं हुआ और उन की वही खराब हालत है। ताउड के शरणार्थियों के मकानात के मसले को तै करने श्री भोंसले साहब और पंजाब के बड़े बड़े अफ़सर गये, लेकिन अब भी उन लोगों का मसला तै नहीं हुआ। मैं जब रिफ्यूजीज़ को देखता हूं तो क्या अर्ज़ करूं मेरी क्या फीलिंग होती है। कल ही नीलोखेरी का जिक्र हुआ। ९५ लाख रुपया नीलोखेड़ी पर सरकार ने खर्च कर दिया लेकिन वहां जा कर देखिये कि क्या हालत है। जब मैं वहां पिछली दफा गया और काम करने वालों से दर्याफ्त करने से मालूम हुआ कि वहां एक आदमी को दो रुपये रोज़ से ज्यादा आमदनी नहीं है, और वह भी उन की जो खूब, काम करते हैं। लेकिन वहां पर काम नहीं है, यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि जिधर भी हम देखते हैं उधर हमें बेकारी दिखाई पड़ती है। कल यहां पर शैड्यूल्ड कास्ट्स का जिक्र था, आज सुबह मैं क्रिमिनेल ट्राइब्स की एक कान्फ्रेन्स में हाजिर हुआ था वहां भी यही बात थी। जिधर देखिये उधर मालूम होता है कि इस देश में एम्प्लायमेंट नहीं है, लोग भूखे हैं। मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या कहूं जिसने इतना रुपया खर्च किया। मैं किसी कट मोशन की सपोर्ट में तो बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं असल वाका बयान कर रहा हूं। जनाब वाला, मैं इस देश की गुरबत को लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकता। अगर मैं आप को पंजाब के फिगर्स दूं, जहां के लिये कहा जाता था कि वहां की जमीन सोना उगलती है, तो वहां के जितने शरणार्थी यहां आये वह सब कहा करते थे कि मैं लाख रुपया छोड़ कर आया, मैं इतना छोड़ आया, उतना छोड़ आया। जब अजित प्रसाद साहब ने उन के क्लेम्स मांगे तो मैं हैरान हुआ उन के फ़िगर्स देख कर जिन के क्लेम्स वैरिफाई किये गये हैं। जितने क्लेम्स मंजूर किये गये हैं उन में से २६ पर सेन्ट क्लेम्स दो हज़ार रुपये के हैं और उस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

से कम के हैं। एक शख्स जो शहर में रहता हो, उस के वास्ते दो हज़ार रुपये का असासा क्या मानी रखता है ? कोई भी शख्स जो लाहौर शहर में रहता हो उस का मकान कितना भी छोटा हो, वहां की एक कोठरी की भी क़ीमत दो हज़ार से ज्यादा थी। ३५ परसेंट वह अश्खास हैं जिन के क्लेम्स दो हज़ार और पांच हज़ार के दरमियान तस्दीक हुए हैं। २५ परसेंट वह लोग हैं जिन के क्लेम्स पांच हज़ार से दस हज़ार तक हैं। १२ परसेंट वह लोग हैं जो दस से बीस हज़ार तक हैं और २ परसेंट वे हैं जिन के क्लेम्स बीस से तीस हज़ार तक हैं। इस तरह से मालूम होता है कि ९९ परसेंट अश्खास हैं जिन के क्लेम्स की वैल्यू पच्चीस तीस हज़ार से कम है। मैं अर्ज़ करूंगा कि जिन लोगों को उम्मीदें दिलाई गई थीं कि यह मुआवजा मिलेगा, श्री गोपालस्वामी, श्री अजित प्रसाद जैन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि मुआवज़ा मिलेगा, क्या उन लोगों के लिये जिन के लिये कानून पास हुए, क्लेम्स वैरिफाई हुए, जिन के वास्ते सब कुछ किया गया और कहा गया, आज कोई कह सकता है कि मुआवज़ा न दिया जाय। जनाब वाला, पंडित नेहरू ने क्या फ़रमाया था इस कम्पेन्सेशन के लिये ? मैं उस को मानता हूं और उन की दलील माकूल थी। पाकिस्तान में किसी की जायदाद एक लाख की थी, किसी की दो करोड़ की थी। उन को पूरा मुआवज़ा कौन दे सकता है ? लेकिन आज उन का सवाल नहीं है, आज आप उन को एक कौड़ी भी न दें, आप की मर्ज़ी है। लेकिन यह रिहैबिलिटेशन क्या चीज़ है ? अगर आप दो हज़ार वाले या ५ हज़ार वाले को पूरा मुआवज़ा न दे सकें, मैं किस मुंह से कहूं कि उस को सरकार कुछ नहीं देना चाहती है, लेकिन रिहैबिलिटेशन करना चाहती है।

इन लोगों के पास जिन की जायदाद बीस या तीस हज़ार थी, अब क्या चीज है। किस चीज़ का आप मुआवज़ा दे रहे हैं। यह रिहैबिलिटेशन बैनिफिट से ज्यादा कुछ नहीं है। मुआवज़ा जिस से पंडित जी घबराते थे वह ठीक है। श्री अचिन्त राम जी और श्री अजित प्रसाद जी की राय में कोई फर्क नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि एक एक करोड़ रुपया दे दिया जाये। हम तो उन के बारे में कहते हैं जिन को आप ने २७०० के मकान दिये हैं। अब आप उन को उन का मालिक बना दीजिये। यह कहना कि यह कम्पेन्सेशन है बिल्कुल गलत है। मैं ने विलायत में देखा है कि जहां जहां पर बम पड़े थे वहां सरकार ने पूरा कम्पेन्सेशन दे दिया। यहां तो कम्पेन्सेशन नहीं है जिस के वास्ते आप झगड़ा कर रहे हैं। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस मामले में अब सरकार इतनी दूर चली गई है कि अब पीछे नहीं हट सकती।

जनाब वाला मुझे अफ़सोस के साथ श्री एन० सी० चटर्जी की तक़रीर के बारे में कुछ अर्ज़ करना है। जनाब वाला, ईस्ट बंगाल और वैस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ के बारे में यह तमीज़ करना कि इस को ज्यादा मिले और उस को कम मिले यह बाजिब नहीं है। यह कहा गया कि उन के मकान ४९ लाख के हैं और उन के ११ लाख के हैं। मैं इस चीज़ को निहायत डेप्रिकेट करता हूं मैं ने कभी कोई तमीज इन दोनों में नहीं की और अजित प्रसाद जी की खिदमत में अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह दोनों रिफ्यूजीज़ हमारे देशवासी हैं। इन में कोई तमीज़ नहीं की जानी चाहिये और न कोई करता है। लेकिन फिर भी कुछ वाकिआत ऐसे हैं जिन को भुलाया नहीं जा सकता। जब कभी कम्पेन्सेशन के मामले की चर्चा हुई वह किस के वास्ते हुई ? वह वैस्टर्न पाकिस्तान वालों

के लिये हुआ । हिस्ट्री के वाकिआत को नेहरू-लियाकत पैक्ट को तो नहीं भुलाया जा सकता कि जो रिफ्यूजीज़ वैस्टर्न पाकिस्तान से आये और जो ईस्टर्न पाकिस्तान से आये हैं उन में मुआवज़े के बारे में बड़ा फर्क है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन का मुकाबला करना निहायत गलत चीज़ है । मैं चाहता हूं कि बंगाल वालों को रिहैबिलिटेशन बैनिफिट्स जो हैं, वह मिलें और इस देश के अंदर जो आदमी रहे उसका जो हक है, हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स की रू से हमारे कांस्टी-ट्यूशन की रू से कि उस को रिहैबिलिटेट किया जाये । लेकिन रिहैबिलिटेशन के मानी सिर्फ मकान नहीं हैं । गेनफुल इम्प्लायमेंट भी इस के साथ होना ज़रूरी है । यह हक है हर एक आदमी का कि उस को यह मिले । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं जब मैं इन सारे वाकियात को देखता हूं तो मैं अपने को रिकंसाइल नहीं कर सकता कि मिनिस्ट्री से कहूं कि सरकार इस देश के अन्दर कोई ऐसा मिरेकालस इन्तिजाम कर दे कि जिस से शरणार्थी खुश हो जायें । साथ ही यह भी मैं नहीं कर सकता कि इन लोगों को कहूं कि रोते रहो पर शिकायत न करो । मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि हम ऐसे झगड़े में फंस गये हैं कि जिस में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिये । इस मामले में यह ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ हम ने जो भी वायदे किये हैं उन को पूरा करें और उन को कम्पेन्सेशन दें और साथ ही उन लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी का सलूक करें । [illegible] वाला, हमदर्दी का लफ्ज मैं ने यों कहा है कि इस सारे देश में कभी पंडित नेहरू और श्री अजित प्रसाद की स्पिरिट परकोलेट नहीं हो पाई है । जब मुझे यह मालूम हुआ कि योल कैम्प में औरतों के चोटें आई हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ । औरतों को फाइरिंग की चोटें आईं यह हमारी सभ्यता के बिल्कुल विरुद्ध है । मुझे पूरे वाकियात मालूम नहीं हैं । इस वास्ते मैं कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता कि किस का कसूर था । मुझे बतलाया गया कि एक शख्स अपने बाप को पानी पिलाने जा रहा था उस को भी गोली लगी और वह मर गया । अगर यह दुरुस्त है तो यह वाकिआ बहुत अफसोस-नाक है । मैं इस बारे में ज्यादा अर्ज़ इस लिये नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे सारे वाकिआत मालूम नहीं हैं और मुआमला सब ज्यूडिस है । कोई शख्स हिन्दुस्तान में यह नहीं उम्मीद कर सकता कि किन्हीं भी सरकमस्टैंसेज में गोली न चलाई जाये । लेकिन यह बहुत ही खास हालात में वाजिब समझा जा सकता है । हमारे महात्मा गांधी जी फरमाया करते थे कि अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी मेरे मुंह पर थूके तब भी मैं रिजंट नहीं करूंगा । यह जो शर-णार्थी आये हैं यह हमारी हमदर्दी के मुस्तहक हैं । हम को यह देखना चाहिये कि जहां तक हो सके हम उन के फेलों को प्रोवोकेशन न मानें । अगर कोई शरणार्थी दूसरी जगह नहीं जाना चाहता और अपना घर नहीं छोड़ना चाहता तो हो सकता है कि उस की कुछ मुश्किलात हों । मैं इस को प्रोवोकेशन नहीं मानता । मैं आप का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दरअस्ल यह जो मुआवज़े का मामला है यह निहायत ही सख्त मामला है । रोज रोज लोग हमारे पास आते हैं और हम से पूछते हैं । मैं समझता हूं कि अब इस में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिये । मैं मिनिस्टर साहब की शिकायत इस लिये नहीं करता कि मुझे मालूम है कि इस में कितनी मुश्किलात हैं । खुद हमारे शरणार्थी भाई कहते हैं कि अगर आप ने टाइटिल खत्म कर दिया तो आसमान गिर पड़ेगा । कुछ भाई कहते हैं कि फौरन दे दिया जाये । यह सवाल मुश्किलात से भरा हुआ है । यही शख्स जो आज जोर देते हैं अगर गलती हो गई तो यही हम को कल कंडैम करने लगेंगे । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सवाल इतना मुश्किल है कि इस को सोच समझ कर हल करना चाहिये

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेकिन लोगों से जो वादे किये गये हैं जिन पर उन्हों ने यकीन कर के अमल किया है उन को पूरा न करना और उन के दिलों के साथ खेलना न दानिशमन्दी है और न ईमानदारी है।

श्री पी० एल० कुरील (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): जनाब सदर, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा आज बोलने का इरादा नहीं था मगर जो बात मुझे आज मालूम हुई है उस की तरफ मैं गवर्नमेंट की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं अपने फर्ज़ में कौताही करता हूं।

इस के पहिले कि मैं गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखूं मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि वह रिफ्यूजीज़ के लिए बहुत कुछ कर रही है, और यह वह बतौर खैरात नहीं बल्कि अपना फर्ज़ समझ कर कर रही है और यह हमारे लिए एक फखर की बात है। जिन हालात में हमें आजादी मिली उन हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उस वक्त हमारे मुल्क में कई फिरकावाराना जमाअतें मौजूद थीं। हमारे मुल्क में ऐसे खुदगर्ज जमींदार मौजूद थे जो मौक़े की तलाश में थे और मुल्क के अमन को खतरे म डालना चाहते थे। इस तरह से बहुत से बैरूनी ममालक ऐसे भी थे जो हमारी आजादी पर ताक लगाये बैठे थे। इस के साथ ही हमारे मुल्क में उस वक्त कितनी ही देसी रियासतें थीं कि जहां पर तानाशाही थी और जहां पर राजा महाराजा और हुकमरान अपनी मनमानी करते थे। वे भी इसी ताक में थे कि किसी तरह से हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में पड़े ताकि जैसे भी हो सके वे अपनी तानाशाही को कायम रख सकें। इन मकद्दर हालात में हमें आजादी मिली और इस आजादी के साथ साथ हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में जो कतलो-खून हुआ उस से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन तमाम हालात को देखते हुए जब हम अपनी गवर्नमेंट के कामों को देखते हैं तो हमारा सर फखर से ऊंचा हो जाता है कि इन तमाम बातों के बावजूद हमारी सरकार ने रिफ्यूजीज़ के लिए जो कुछ काम किया है वह हमारी गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए फखर की बात है। कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। किसी गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत और साधन नहीं कि वह इन शरणार्थियों को इतनी बड़ी आसानी के साथ दोबारा बसा सके। जिस मकद्दर अफजा में और जिन मुश्कलात के दरपेश हमारी हुकूमत ने लाखों पनाहगजीनों को इमदाद दी और उन्हें मुल्क में बसाया वह वाकई काबले तारीफ है। जो हमारी गवर्नमेंट ने उन को जमीन दी। उन के लिए मकान बनवाये और जहां तक हो सका उन को लोन (ऋण) दिये ताकि वे मकान बना सकें। जहां तक हो सका उन के लिए दूकानें बनाईं और जहां तक हो सका उन को लोन दे कर उन नई दूकानों को चलाने के काबिल बनाया। और हर तरीके से जो कुछ भी हो सकता था हमारी गवर्नमेंट ने किया। हालात ऐसे नहीं थे कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाती और यह सब कुछ करती क्योंकि सब से पहले तो हमारी गवर्नमेंट को देखना था कि हमारी आजादी जो इतनी मुश्किल और कुरबानी के साथ हासिल की गई वह खतरे में न पड़े। उधर काश्मीर का मुआमला था और इधर बहुत सी अन्दरूनी बातें ऐसी थीं जिन की वजह से हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जोह नहीं दे सकती थी। मगर हमारी गवर्नमेंट ने यह फर्ज़ समझा कि उन बनाहगजीनों को, जो अपने घरों को हमारी वजह से छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, हम दोबारा बसायें और जो कुछ भी गवर्नमेंट

कर रही है, उस से ज्यादा उस को करना चाहिये। मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं। श्री अजीत प्रसाद जी जैन को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूं। इसी तरह से मुहतरिम खन्ना साहिब को भी मुबारकबाद देता हूं। उन को मैं बहुत अरसा से जानता हूं। मेरी पैदाईश और परवरिश सरहदी सूबे में हुई है। उन्होंने जितनी जांफशानी से काम किया है वह उन्हीं का हिस्सा था। पनाहगजीनों के लिए जो पक्के और कच्चे मकानात हम जगह जगह देखते हैं यह उन्हीं की कोशिश का नतीजा है।

इन सब बातों के बाद मैं अब उस बात की चर्चा करना चाहता हूं जिस की वजह से मैं बोलने खड़ा हुआ हूं। वरना मैं बोलता ही नहीं। मेरा ख्याल है कि पस्त अकवाम के लिए अलग बस्तियां न होनी चाहियें। पहले से भी यह शिकायत थी कि हरिजनों की बस्तियां अलग आईसोलेटेड नहीं होनी चाहियें। जमाना कदीम में उन की बस्तियां अलग बनाई जाती हैं। गांवों से जहां हट कर दूर ही उन के मकानात बनाये जाते थे और जहां तक हो कोशिश होती थी कि उन को अलग रखा जाये। उन के रहने सहने का ढंग सब अलग रखा जाता था। यहां तक कि उन के खेत, कुएं, वगैरह सब गांवों से अलग होते थे। और आज तक वे अछूत माने जाते थे और अब भी माने जाते हैं। हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर सब से पहले बड़ी कमी यह है कि हम ने कभी नहीं सोचा कि हम एक ही देश के रहने वाले हैं और हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। हमारे कई लोगों का यह कहना कि हमारे अन्दर रेशल प्योरिटी (मूलवंशीय शुद्धता) है यह बात हिन्दुस्तान के अन्दर गलत है। 'फार सैंचरीस एमेल्गामेशन आफ ब्लड हैज टेकन प्लेस'। खून की इतनी आमेजश इतने बर्सों से होती रही है कि कोई कौम यह नहीं कह सकती कि उस की रगों में प्योर खून जारी है या यह कि हम किसी खास प्योर रेस को बिलांग करते हैं। इसलिए हम सब एक ही देश के रहने वाले हैं। एक ही रेस को बिलांग करते हैं। एक ही कौम के अफराद हैं। एक ही कौमियत है, मगर अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि अभी हाल ही में हम यह सुनते हैं कि यहां पर अलग हरिजन बस्तियां बनाई गई हैं।

श्री ए० पी० जैन: जी नहीं, यह गलत है।

श्री पी० एल० कुरील: मैं कई हरिजन बस्तियां इसी वक्त भी बतला सकता हूं कि जो हमारी देहली स्टेट के अन्दर मौजूद हैं। यह जो छोटे छोटे धब्बे यानी छोटे छोटे तंगों तारीक मकानात। तंग गलियां हमारे देश के अन्दर मौजूद हैं उन को जितनी जल्दी हो सके हमें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिये। अब हमें किसी को इस किस्म का मौका नहीं देना चाहिये कि हम जात जमाअत या इस तरह के तंग दायरा में सोचें। हमें तो यह सोचने की जरूरत है कि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं। एक ही नेशन को बिलांग करते हैं। हमारे अन्दर कौमियत का जजबा मौजूद है। कौमियत और हुबउल्वतनी का एक पैदाइशी जजबा मौजूद है। यह जजबा हर एक जमाअत के अफराद में मौजूद है। अछूतों में भी मौजूद है। हरिजनों में भी मौजूद है। आला जमाअत के अन्दर भी मौजूद है। मुसलमानों में भी मौजूद है। सिक्खों के अन्दर भी मौजूद है। कोई जमाअत ऐसी नहीं कि जो यह दावा कर सके कि यह उस की जायदाद है। यह जजबा सब के अन्दर मौजूद है।

इसलिए मैं खास तौर पर गवर्नमेंट की तवज्जोह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो अलग बस्तियां हैं हरिजनों की, वे न बनाई जायें। और जो मौजूद हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिये। इस वक्त हरिजन बस्ती यहां पर रेगड़पुरा मौजूद है। इस तरह की

[श्री पी० एल० कुरील]

बहुत सी पुरानी बस्तियां यहां मौजूद हैं । शाहदरा में भी पुरानी हरिजन बस्तियां मौजूद हैं। उन सब को खत्म करने की ज़रूरत है । मैं जानता हूं कि उन की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे आम बस्तियों में जा कर रह सकें, वहां प्लाट खरीद सकें, या वहां मकान बनवा सकें। मगर हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है कि अगर उन्हें जमीन दी जाये तो उन से किस्तों से रुपया वसूल किया जाये । उन से छोटे छोटे इन्स्टालमैंट्स (किश्तों) में आप रुपया लें। इस के अलावा बहुत से ऐसे हरिजन भी आप को मिल जायेंगे कि जो अमीर बस्तियों में या आम बस्तियों में भी जमीन खरीद सकते हैं। तो आम बस्तियों में वे जमीन खरीदें यह समझ कर कि हम एक कौम से ताल्लुक रखते हैं । आपस में मिल जुल कर सौशल लाईफ ऐसी होनी चाहिये कि हमारे अन्दर से जात पात का जजबा किसी तरह से चला जाये और हम एक कौम बन सकें। इस बात को हमें देखना है। इस में जो खास दिक्कत है वह माली हालत की है। इस को आप अच्छी तरह से समझते हैं। फिर कल्चरल स्टेटस (सांस्कृतिक स्तर) भी उन का ऐसा नहीं है। मगर हमें उन के कल्चरल और सौशल स्टेटस (सामाजिक स्तर) को बढ़ाना है। वे आला कौम के आदमियों से मिलेंगे, उन में उठेंगे बैठेंगे; उन के बाल बच्चे और स्त्रियां, बहनें और मायें वगैरह जब वे आम आदमियों से मिलेंगी तो उन का कल्चरल स्टेटस राइज़ (ऊंचा) होगा और उन का सौशल स्टेटस भी आगे बढ़ेगा। यह तभी हो सकता है जब कि उन्हें इस का मौका दिया जाये कि वे आम आदमियों के बीच में रहें।

एक वक्त की बात यह है कि प्लाट की फ़रोख्त आक्शन से होती है। हमारी गवर्नमेंट प्लॉट्स फरोख्त करती है तो आक्शन होता है। देहली स्टेट की गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है। म्युनिसिपैलिटी भी ऐसा ही करती है। मगर इस आक्शन की जानिब मैं खास तौर पर तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। आक्शन का यह तरीका एक बड़ा भारी गलत तरीका है। हमारे आक्शन के तरीके से अमीर आदमी और ज्यादा अमीर बन जाते हैं और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब। अब आक्शन के जरिये क्या होगा कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं, वे ही प्लाट्स पर काबिज हो जाते हैं। वे ही कई आला इमारतें खड़ी करते हैं। नतीजा यह होता है कि मकान उन के लिए आमदनी का जरिया बन जाता है। मगर गरीब हरिजन भाइयों के लिए रैजिडैन्शल क्वार्टर्स तक बनाने के लिये कोई प्लाट्स नहीं मिल पाते। वे कहां उन से मुकाबला कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर आदमियों का। तो हम ज़रूर गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि हर बस्ती में कुछ प्लाट्स ऐसे रैजर्व कर लें हरिजनों के लिए। मैं रैजोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ हूं। मगर इस के सिवा कोई और चारा नजर नहीं आता जब हम इस तरह का माहौल देखते हैं तो यही चारा नजर आता है कि कुछ प्लाट्स हर बस्ती में हरिजनों को दें। ये प्लाट्स थोड़े बहुत हर बस्ती में हरिजनों को मिलने चाहियें।

इस से ज्यादा अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब का कि उन्हों ने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री गिडवानी (थाना) : पिछले प्रतिवेदन में कहा गया था कि सरकार ने १७८.१० करोड़ रुपए व्यय किए हैं। मैं तो कहूंगा कि वस्तुतः यह व्यय नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस में से १०० करोड़ से अधिक रुपए तो पूंजी विनियोग है, जो गृह-निर्माण तथा ऋणों के रूप में व्यय किए गए हैं जो ब्याज सहित वापस मिल जायेंगे। विस्थापित व्यक्तियों से प्रत्येक

दुकान और प्रत्येक मकान का किराया वसूल किया जाता है ।

बम्बई में एक विशेष विधान के अनुसार किराया न देने पर कोई भी व्यक्ति घर से निकाला जा सकता है, उस का सामान कुर्क किया जा सकता है और वह जेल भेजा जा सकता है । यह एक अत्यन्त वेदना-पूर्ण बात है । लगभग ८० लाख व्यक्तियों की सहायता पर लगभग ७५ या ७६ करोड़ रुपए व्यय किया गया है ।

भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री श्री मोहन लाल सक्सेना की पुस्तिका "पुनर्वास की समस्याओं पर कुछ विचार" को पढ़ने से ज्ञात होता है कि पुनर्वास के कार्य में अनेक बाधाएं हैं । इस कार्य के लिए न तो पर्याप्त निधियां ही उपलब्ध होती हैं और न अन्य राज्यों तथा मंत्रालयों का सहयोग ही प्राप्त होता है और इसी कारण श्री मोहन लाल सक्सेना को त्याग पत्र देना पड़ा ।

उन के उपरांत श्री अजीत प्रसाद जैन ने उस मंत्रालय का भार सम्हाला है । परन्तु उन के शासन काल में भी दशा अच्छी नहीं है । दिए जाने वाले ऋण दो प्रकार के हैं—एक तो नागरिक राज्य ऋण और दूसरे पुनर्वास आर्थिक प्रशासन ऋण । ५० रुपए से ५,००० रुपए तक के ऋण नागरिक राज्य ऋण तथा ५,००० रु० से ऊपर वाले ऋण पुनर्वास आर्थिक प्रशासन ऋण कहलाते हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

नागरिक राज्य ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में सरकार की नीति न्यायपूर्ण नहीं है । मैं ने कुछ समय पूर्व सरकार से प्रार्थना की थी जब तक दावों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक के लिए उन ऋणों की वसूली स्थगित कर दी जाय । काफी आन्दोलन के बाद सरकार ने वह सुझाव मान लिया, पर केवल उन्हीं ऋण लेने वाले लोगों के सम्बन्ध में जो पाकिस्तान में अपनी कुछ सम्पत्ति छोड़ आये हों । इस प्रकार जो ऋणी पाकिस्तान में कोई भी सम्पत्ति नहीं छोड़ आए हैं उन की दशा बहुत बुरी है और उन का पुनर्वास संभव नहीं है ।

उक्त नागरिक राज्य ऋण नवम्बर १९५२ तक ११ करोड़ रुपए के थे । इन में से आधा तो उन के पास है जो पाकिस्तान में कुछ सम्पत्तियां छोड़ आए हैं । बाकी में से यदि सरकार एक हज़ार रुपए तक के ऋणों को अनुदान मान ले तो अन्त में २ या ३ करोड़ रुपए के ऋण ही तत्काल वसूली के लिए बचेंगे । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार पचास हज़ार परिवारों की बरबादी की जिम्मेदार होगी । दो या तीन करोड़ रुपयों के लिए विस्थापित व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं प्रतीत होता ।

जहां तक दावा विभाग का सम्बन्ध है, मैं तो यही कहूंगा कि वह सर्वथा अयोग्य तथा अनुपयोगी विभाग है जिसे समाप्त कर देना चाहिए । गत वर्ष अगस्त में हमें बताया गया था कि दावों का काम समाप्त हो गया था । यह सत्य नहीं है । इस विभाग ने अनेक विस्थापित व्यक्तियों के सैकड़ों, हज़ारों रुपए बरबाद करवा दिए हैं और उन को बहुत परेशान किया है । इस के मेरे पास प्रमाण हैं । यह विभाग अपने मंत्री आदि को दावत दे कर अपनी धांधलियों तथा अयोग्यताओं को छुपाने का प्रयत्न करता रहता है । माननीय मंत्री को उन की दावतें नहीं स्वीकार करनी चाहिएं और उन्हें यह देखना चाहिए कि दावों को शीघ्रातिशीघ्र सत्यापित कर के यह कार्य समाप्त किया जाय ।

जहां तक प्रतिकर के दिए जाने का सम्बन्ध है उस में कोई बिलम्ब नहीं होना चाहिए । विलम्ब के भयंकर परिणाम होंगे, क्योंकि सम्बन्धित लोग अधीर और उत्तेजित हो रहे हैं ।

[श्री गिडवानी]

अब गैर पंजाबी, बूढ़े तथा दुर्बल विस्थापित व्यक्तियों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए भरण पोषण भत्ते का प्रश्न लीजिए। पंजाबी ज़मीदारों को भूमियां स्थायी तुल्य आधार पर दी गई हैं, पर सिंध, बहावलपुर सीमांत प्रदेश, बलोचिस्तान से आए हुए ज़मींदारों को तो भरण पोषण भत्ता भी नहीं दिया जाता। अपील करने पर श्री जैन कहते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है। यह तो लोकतन्त्रात्मक विचार नहीं है।

पंडित जवाहरलाल ने कल कांग्रेसजन के सामने भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सम्बन्ध में भाषण दिया था। उस सिलसिले में मेरा यह सुझाव है कि मंत्रियों को अपने आधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा दी गई दावतें और चाय पार्टियां स्वीकार नहीं करनी चाहियें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : पिछले एक वर्ष में हम लोग अनेक अवसरों पर शरणार्थियों की भयंकर दुर्दशा पर विचार कर चुके हैं। हम पर यह आरोप लगाया गया है कि स्थिति का अनुचित लाभ उठा कर हम उस से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर आज हम देखते हैं कि स्थिति और भी बिगड़ गई है। सभी शरणार्थियों की दशा अत्यन्त शोचनीय है—चाहे वे पूर्वी बंगाल से अथवा पश्चिमी पाकिस्तान से आए हों। नित्य ही फरीदाबाद, नीलोखेड़ी, गुड़गांव आदि स्थानों पर बसने वाले शरणार्थियों की दुर्दशाओं के किस्से सुनने में आते हैं। स्थिति यहां तक बिगड़ गई है और बेकारी इतनी बढ़ गई है कि उन लोगों की स्त्रियों को अपने तन का व्यापार भी करना पड़ रहा है। खेद है कि इतना सब होते हुए भी श्री जैन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं श्री जैन से प्रार्थना करती हूं, कि वे समय रहते इस समस्या की ओर और ध्यान देने की कृपा करें। गुड़गांव, रेलवे-रोड़ शिविर, तथा शमशीर-रोड़ शिविर के शरणार्थियों की विपदाओं के बारे में मैं ने सुना है, और वहां पर झोपड़ियों की मरम्मत के लिए दी गई सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा की गई धांधली भी छिपी नहीं है। आश्चर्य है कि हमारे यहां स्थायी उत्तरदायित्व शिविर जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्या उन के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

इन सब समस्याओं को उचित रूप से निपटाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे।

जहां तक पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का सम्बन्ध है, उन में से बहुत से अपनी बस्तियां छोड़कर सियालदह और हावड़ा आ गए हैं। ऐसा क्यों होता है, इस को पता लगाने के लिए सरकार ने एक तथ्य निर्धारण आयोग बनाया था। पर उस ने न तो किसी का सहयोग ही प्राप्त करने की चेष्टा की और न अभी तक अपनी सिफारिशें इस सदन के सामने रखी हैं। उक्त प्रकार के लोगों के पुनर्वास केन्द्रों से बारबार चले जाने के भी कारण हैं। सत्य तो यह है कि उन केन्द्रों में बहुत धांधली और दुर्व्यवस्था चल रही है। उन में रहने वाले शरणार्थियों के लिए निवास तथा ऋण आदि के प्रबन्ध अत्यन्त असंतोषपूर्ण हैं।

कृषि सम्बन्धी बस्तियों में पहले तो शरणार्थियों के आगमन के बहुत बाद उन्हें ज़मीनें दी गईं, और फिर जो ज़मीनें दी गई वह अधिकतर बेकार और ऊसर थीं। उचित तो यह था कि उन ज़मीनों को वितरण से पूर्व ही कृषि योग्य बना लिया गया होता। इस के अतिरिक्त उन के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। फलस्वरूप जो थोड़ी बहुत पैदावार हुई वह भी पानी की कमी के कारण सूख गई। यही कारण है कि वहां से

लोग भाग कर कलकत्ता चले आते हैं और वहां के फुटपाथों पर भूखों मरते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कृषि-बस्तियों में ऐसे शरणार्थी भेजे गए जो कृषि-कार्य तनिक भी नहीं जानते थे। इस के अतिरिक्त कहीं कहीं पर तो उन को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, जैसा कि खेरेल्लाचाक और तालबगीचा की बागबानी योजनाओं में हुआ है। परिणाम यह हुआ कि एक या दो परिवारों को छोड़ कर बाकी सब वहां से चले गए।

अब मैं कुछ ठोस सुझाव रखूंगी। पहली बात तो यह है कि कृषि सम्बन्धी ऋण देने में विलम्ब होता है और मानसून के बाद किसानों तक यह धन-राशि पहुंच पाती है। यह विलम्ब नहीं होना चाहिए। दूसरे, ज़मीन जो दी जाय वह कृषि योग्य होनी चाहिए। विस्थापितों को अधिक समय तक अस्थायी शिविरों में न रखा जाय तथा उन्हें शीघ्र ही कार्य केन्द्रों में भेजा जाए। उन को भूमि दीजिए, उन से कार्य केन्द्रों में काम करवाइए और अन्त में उन को उस भूमि का स्वामी बना दीजिए। तीसरे, सहायता समय से दी जानी चाहिए, अन्यथा उस का महत्व नहीं रह जाता।

मुझे दुःख है कि बंगाल के उन मुसलमान निष्क्रान्त व्यक्तियों की दशा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कुछ काल पूर्व वहां की अनिश्चित दशा के कारण पाकिस्तान चले गए थे। वे अब लौट आए हैं। परन्तु उन के घरों में शरणार्थी लोग रहते हैं। सरकार को चाहिए कि वह उन के घर उन्हें वापस दे दे और शरणार्थियों के लिए किसी अन्य स्थान की व्यवस्था करे।

अनधिकृत रूप से बसाई गई बस्तियों को नियमित कर देना चाहिए और उन में बसने वाले शरणार्थियों को कृषि योग्य सस्ती भूमि बांट देनी चाहिए।

इस के अतिरिक्त, बेकारी का प्रश्न सब से बड़ा और विकराल है। बिना इस समस्या को हल किए हुए इतने अधिक धन का व्यय व्यर्थ है।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से पुनः प्रार्थना करूंगी कि वह इस शरणार्थियों के पुनर्वास की जटिल समस्या को सहृदयता से सुलझाने का प्रयत्न करें।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम): जनाब चेयरमैन साहब, जब से मैं यहां बैठी हूं मैं भी बहुत "हैवी हार्ट" से एक एक का व्याख्यान सुन रही हूं। सब से ज्यादा दुख मुझे अपनी माननीय बहिन सुचेता जी का व्याख्यान सुन कर और अपने माननीय भाई गिडवानी जी का व्याख्यान सुन कर हुआ। मैं अभी सोच रही थी कि आखिर यह क्या बात है कि और व्याख्यान जो मैं ने सुने उन का मेरे दिल पर बहुत असर नहीं पड़ा मगर यह दो व्याख्यान सुन कर मेरे दिल पर बहुत गहरी चोट लगी। कारण उस का यह है कि ये दोनों अपने हैं। जब अपने पराये हो जाते हैं तो बहुत नुक्सान-देह हो जाते हैं। ये मुझ से कुछ भी कहें पर मैं तो सदा ही इन को अपना समझती हूं और उन को अपना समझ कर ही आज मैं यह कहती हूं कि जो मेरी बहिन सुचेता जी हैं उन की तो मैं तारीफ नहीं कर सकती। मैं उन की हिम्मत और अक्लमन्दी की तारीफ नहीं कर सकती। जिस वक्त यह कांग्रेस में थीं उस वक्त इन्हों ने जो रिफ्यूजीज़ में काम किया था वह मैं नहीं भूल सकती। जिस वक्त रिफ्यूजीज़ यहां आये उस वक्त उन्हों ने उन को अपने कलेजे से लगाया और वह उन के बच्चों के मुंह हाथ धोया करती थीं।

आज अगर यह इतने दर्द से कहती है तो मुझे ताज्जुब भी नहीं है लेकिन सिर्फ जरा तक़लीफ है और वह तकलीफ़ इस बात की है कि जैसे उन्हों ने पहले बरदाश्त किया था, हंस हंस कर, रो रो कर, उन्हें कलेजे से लगाया था, वह जो उन की शान्ति

[श्रीमती उमा नेहरू]

थी, आज वह गुस्से में क्यों बदल गई है। मैं ने यहां जो उन का व्याख्यान सुना तो मुझे उन की हालत गुस्से की नज़र आई मैं उन को यह ज़रूर समझाऊंगी, अपने ज्यादा तजुर्बे की बिना पर, कि देश के इस काम में ज़रा भी हमें जोश और गुस्से को नहीं आने देना है हमें इस काम को दिल से लगा कर और सब को मिल कर सोचना है कि हम किस तरह से इस का फैसला करें।

मैं ने जो और माननीय मेम्बरों के व्याख्यान सुने मेरे ऊपर असर यह हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यह बातें उन के दिल से नहीं निकल रही हैं। मुझे कहीं तो उस में पालिटिक्स की झलक दिखाई दी और मेरे दिल पर उस का असर भी है कि यह बेचारे गरीब जो दुःख से भरे हुए हमारे रिफ्यूजी आए हुए हैं, अगर इन से हम अपने पालिटिक्स का खेल खेलेंगे तो हम इन की जिन्दगी को खत्म कर देंगे नतीजा फिर यह होगा कि हम भी खत्म हो जायेंगे और उन गरीबों को भी खत्म कर देंगे मैं अपने भाइयों और बहिनों से यह कहूंगी कि यह बात सोचें। दुःख हम सब को है, मगर इस दुःख में पालिटिक्स को नहीं लाना चाहिये अगर पालिटिक्स को लावेंगे तो उन को बहुत नुक्सान आप पहुंचायेंगे। मैं जानती हूं कि हर एक को इस पर दुःख है। लेकिन मैं अपने भाई गिडवानी जी से और बहिन सुचेता जी से भी एक बात कहना चाहती हूं कि हर चीज़ को उखाड़ कर फेंकना आसान होता है। याद रखिये कि जरा सा जलज़ला आता है, ज़रा सी कोई चीज़ होती है, हज़ारों लाखों आदमी खत्म हो जाते हैं। मगर जब हम किसी बस्ती को बसाना चाहें तो वह चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, और कोई भी गवर्नमेंट हो, जब बस्ती को बसावेंगे तो बस्ती बसते ही बसते बसती है। बस्ती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई मंत्र आप ने पढ़ा और बस्ती बस गई। अगर आप के पास कोई इतनी शक्ति है, ताकत है, तो मैं तो आप से कहूंगी कि आप को यह ज़रा भी नहीं सोचना चाहिये कि यह कांग्रेस की मिनिस्ट्री है तो हम दूर से किनारे पर खड़े हो कर तमाशा देखें। नहीं, आप को अगर दिल से लगी हुई बात है तो आप सब भूल जायेंगे और भूल कर अपने मिनिस्टर को, चाहे वह किसी भी मत का हो, उस के सामने चीज़ें लावेंगे।

इतना कहने के बाद मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब को बहुत मुबारक करती हूं। मैं समझती हूं कि अगर उनकी जगह पर मैं होती तो सीधी रांची मेंटल हास्पिटल में चली गई होती। मैं समझती हूं कि जितनी मेहनत से और ईमानदारी से वह काम कर रहे हैं और उन्हों ने काम किया है और आयन्दा करेंगे, मैं उन को यकीन दिलाती हूं कि हमारी हमेशा उन के साथ हमदर्दी रहेगी चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे और मत के लोग हों। इस काम में पालिटिक्स का सवाल हमारे सामने नहीं होना चाहिये। हम बराबर मिनिस्टर की मदद करेंगे और उन की सहायता करेंगे। जो भी कमियां हम देखते हैं हमें चाहिये कि हम उन को मिनिस्टर साहब के सामने रखें और हम इन कमियों को दूर करने की कोशिश करें मैं यह चाहती हूं कि ऐसा हमें करना चाहिये, यह होना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उस की कुछ मिआदें भी होती हैं, वह मैं जानती हूं। लेकिन वह मिआदें होने के बाद भी अगर यह काम ज्यादातर हमारे जो नान गवर्नमेंट के, नान-आफिशियल लोग हैं, वे करें, वे इस काम को दर्द से करेंगे इस सूरत से हम अपनी गवर्नमेंट को बहुत मदद दे सकते हैं। यह मुझे पूरा यकीन है।

यहां मैं ने अपनी बहिन सुचेता जी की बातें करीं और औरों की भी करती हूं। इस में कोई

शक नहीं कि अपन प्रान्त में मैं यह काम रिफ्यूजीज़ का, स्त्रियों का, करती हूं। चुनार कैम्प में मैं गई। चुनार वह जगह है जो निहायत खूबसूरत है। वहां कुदरत का नज़ारा चारों तरफ दिखाई देता है। मैं जब चुनार गई तो मैं ने गंगा को देखा और चारों ओर खूबसूरत चीज़ें देखीं। साथ साथ जिस वक्त मैं ने अपनी रिफ्यूजी बहिनों को देखा, उन की दुःख भरी कहानी सुनती रही, उन के चेहरे देखे तो इस में कोई सन्देह नहीं है कि जितनी खूबसूरती कुदरत को मेरे सामने थी वह मेरे लिये उस समय बेकार हो गई। मैं सोचती थी कि क्या यह कुदरत की शान है कि इतनी खूबसूरती के साथ इतनी तकलीफ़देह बात भी होती है।

मैं ने जब उन बहनों से बातें कीं और करने के बाद जो मैं ने देखा तो यह ख्याल आया कि मिनिस्टर साहब से कहना चाहिये। कह भी चुकी हूं और यहां भी कहती हूं। मैं ने देखा कि उन बेचारियों के पास पूरी तरह कपड़ा नहीं था, क्योंकि बंगाल से शायद जब वह आईं तो बंगाल को इस बात का विचार नहीं हुआ कि हमारी तरफ ज्यादा सरदी होती है, वहां उधर बंगाल में इतनी सरदी नहीं होती है। कोई गरम कपड़ा उन के पास नहीं था। ओढ़ने को भी काफ़ी चीज़ें नहीं थीं। इस तरह की चीज़ों की कमी वहां थी। मैं ने मिनिस्टर साहब को बताया और मुझे पूरा इतमीनान है कि उन का बन्दोबस्त वहां हो जायगा। यह बात मैं ने वहां देखी।

अब यहां पर मैं ने नीलोखेड़ी टाउन-शिप की बातें सुनीं। मैं ने भी नीलोखेड़ी को देखा है। नीलोखेड़ी पर हज़ारों लाखों रुपया खर्च हुआ है इसलिये मैं ने भी वहां पर जा कर देखा। मैं ने जा कर देखा कि उस का क्या मकसद है। वहां सैल्फ-सफ़िशिन्सी लोगों को सिखाई जाती है। जब मैं नीलोखेड़ी गई तो जिस कमरे में मुझे ले जाया गया वहां जितना फर्नीचर था वह सब नीलोखेड़ी के लोगों का बनाया था। जितने वहां परदे थे वे नीलोखेड़ी के करघों के बने हुये परदे थे। जितना मुझे वहां भोजन मिला रोटी मिली वह नीलोखेड़ी के गेहूं की बनी हुई थी। वहां पर पोलट्री थी और डेयरी भी थी। यह सब चीज़ें, खाने पीने की, ओढ़ने वगैरह की जितनी चीज़ें थीं सब वहां की ही थीं। फिर मैं ने पूछा कि बाज़ार कितनी दूर है तो मुझे उसी हद में दिखाया गया कि बाज़ार भी है, दूकानें भी हैं सब कुछ है। यह सब देख कर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। यह ज़रूर है कि उस में रुपया बहुत खर्च हुआ है। मैं ने वहां देखा मुझे घी बहुत सस्ता लगा। घी और शहद वहां जितना सस्ता था, दिल्ली में उस के मुकाबले बहुत महंगा है।

अब यह यहां बार बार सवाल होता है अनएम्प्लायमेंट का। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। लेकिन यह जो अनएम्प्लायमेंट का सवाल आता है, मैं तो समझती हूं कि यह बहुत मुश्किल सवाल है। यह खाली रिफ्यूजीज़ का ही सवाल नहीं है सिर्फ उन्हीं से वास्ता नहीं है। औरों से भी इस का वास्ता है और यह बहुत मुश्किल सवाल है। मैं तो समझती हूं कि आप का फाइव ईयर प्लान है जो आप ने फाइव ईयर प्लान रखा है तो आप का फर्ज़ है कि अगर आप इस फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाना चाहते हैं तो यह जो अनएम्प्लायड लोग हैं चाहे रिफ्यूजी हों चाहे नान-रिफ्यूजी हों इन सब को आप को उस में लगा देना है। मैं समझती हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह फाइव ईयर प्लान का सवाल हल हो जायगा और उन मज़दूरों का भी जिन को पूरी मज़दूरी नहीं मिल रही है।

[श्रीमती उमा नेहरू]

ज्यादा न कह कर मैं थोड़ा सा जिकर अपनी बहनों का कर दूं। मैं औरतों में बराबर काम करती हूं और उन से काम भी कराती हूं। लेकिन, जैसा अभी मेरी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा, माल तो ज्यादा बनता है और सब सिलाई कढ़ाई का काम औरतें करती हैं, लेकिन मारकेट नहीं है जहां उन का माल बिक सके। यह कुछ ऐसा हिसाब है जिस का इन्तजाम करना होगा। गवर्नमेंट को इस के संग संग मारकेटिंग का भी इन्तजाम करना है तभी कामयाबी हो सकती है।

मैं फिर से मिनिस्टर साहब को मुबारक करती हूं और मैं समझती हूं कि उन्होंने जो काम किया वह बड़ी मुश्किलों में किया। मैं अपने भाइयों और बहनों से जो इस के खिलाफ हैं, जो समझते हैं कि यह गलत है, उन को मैं यह कहूगी कि अगर कोई रास्ता हमारी गवर्नमेंट गलत चल रही है तो उन को पूरा हक है कि वह रास्ता रोक कर खड़े हो जायें और वह बतायें। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भूली नहीं है। इस में कोई शक नहीं है कि महात्मा गांधी ने जो पाठ हमें राम राज्य का पढ़ाया वह हमें याद है। हम चाहते हैं कि चाहे वह हमारे हों चाहे गैर हों, या कोई भी हों, हर एक भारत के बच्चे को भारत में खाना, पीना, कपड़ा और मकान मिलना चाहिये।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : देश का बटवारा होने से शरणार्थियों को हत्या, लूट तथा अपमान सहना पड़ा भारत की सीमा के अन्दर आने के लिए। उन की कठिनाइयों से आज हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने जिस सुन्दर ढंग तथा साहस से उन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है, वह भी कम नहीं है। उन के ऊपर १७८ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। मैं चाहूंगा कि कुछ और अधिक व्यय किया जाय। हमारी सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए जो कुछ किया, पाकिस्तान सरकार ने अपने शरणार्थियों के लिये कदापि नहीं। अतः केवल इस कारण सरकार की आलोचना करना कि हम को यह अधिकार मिल गया है, उचित नहीं।

जहां तक उपर्युक्त राशि का प्रश्न है, वह केवल काग़जी चीज़ है और केवल उस का कुछ भाग ही व्यय किया गया है। पश्चिमी पंजाब ने विस्थापित व्यक्तियों पर १२५.६५ करोड़ रुपया व्यय किया है। ऋण तथा सहायता के रूप में अभी तक केवल ७५ करोड़ रुपया व्यय हुआ है। यदि इस राशि को ५० लाख लोगों में बांटा जाय तो पांच वर्ष में प्रति व्यक्ति २ रु० ८ आ० प्रति मास पड़ता है और यदि कुल राशि को लिया जाय तो पांच वर्ष के समय में प्रति व्यक्ति २५१ रु० वार्षिक पड़ता है या ४ रु० ३ आ० मासिक होगा। यद्यपि सरकारी कोष से इतनी बड़ी राशि निकलना कम नहीं तो भी जितने लोगों को सहायता की आवश्यकता है, उस को देखते हुए यह राशि प्रति व्यक्ति के लिये बूंदों के समान है। हम लोग भार नहीं हैं वरन् राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। हम लोगों में शक्ति है और है कार्य करने का साहस तथा क्षमता। पूर्वी पंजाब जहां कुछ समय पूर्व कमी रहती थी आज विस्थापित व्यक्तियों के प्रयत्न एवं उत्साह के परिणामस्वरूप आज वह आधिक्य राज्य बन गया है तथा अन्य राज्यों को खाद्य सहायता पहुंचा रहा है। हमें धन चाहिये किन्तु धन इस रूप में चाहिये कि जिस से देश को लाभ पहुंचे। यदि आज हमारे जितने व्यक्ति बेकार हैं उन को कार्य करने का अवसर दिया जाय तो वे केवल अपने लिये ही नहीं वरन् दूसरों के लिये भी धन पैदा कर सकते हैं। अनेक

बेकार तथा बंजर भूमि को खेती के योग्य बना कर उन में खेती की जा रही है।

मुझे दुःख के साथ एक बात और कहनी पड़ती है कि श्री अजित प्रसाद जैन वास्तव में विशाल हृदय तथा न्यायी व्यक्ति हैं किन्तु अन्य लोग उस प्रकार के नहीं। मद्रास, हैदराबाद तथा मैसूर जिन में काफ़ी काफ़ी संख्या में विस्थापित व्यक्ति बसाये जा सकते हैं, अभी तक उन में कुछ भी नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : वे वहां जाना चाहते ही नहीं हैं।

श्री टेक चन्द : मध्य प्रदेश एक लाख से अधिक विस्थापितों को न खपा सका। उत्तर-प्रदेश ने अपनी भव्यता के साथ कुछ विस्थापितों को मलेरिया वाले स्थानों में बसाया है। हम लोग परिश्रम से डरने वाले नहीं हैं। अनेक परती भूमि को कृषि योग्य बना कर खेती की जा रही है। और जंगलों को साफ कर अब वहां अन्नोत्पादन किया जा रहा है। अब मैं अपहृत महिलाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री ए० पी० जैन : वह इस मंत्रालय के अन्तर्गत् नहीं आता है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री आपत्ति कर रहे हैं। यह इस मंत्रालय का विषय नहीं है।

श्री टेक चन्द : यदि ऐसा है तो आप के निर्णय से सहमत हूं। शरणार्थियों को प्रतिकर तत्काल ही दिये जाने चाहियें। जहां तक उन को दिए जाने वाले ऋणों का सम्बन्ध है उन को शरणार्थियों के स्वीकार किये गए दावों में से उन का समन्वय किया जा सकता है। मकानों तथा दूकानों का किराया उन के स्वीकृत एवं सिद्ध हुए दावों से समन्वय किया जा सकता है। अन्त में कुटीर उद्योगों की उन्नति कर उन की इस समस्या को बहुत कुछ सुलझाया जा सकता है।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिण्डा): मुझे जब पुनर्वास मंत्रालय की सूचना द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अधिकतर विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जा चुका है और अविस्थापितों की संख्या कम ही रह गई है तब मुझे माननीय मंत्री द्वारा 'पुनर्वास' की दी गई परिभाषा स्मरण हो आई किन्तु उस से भी काम न चला। तत्पश्चात् माननीय मंत्री का मुझे पहले वाला भाषण स्मरण हो आया जिस में उन्हों ने यह कहा था कि विस्थापितों की अधिकाधिक संख्या बस चुकी है और इस प्रकार यह समस्या बहुत कुछ सुलझ गई है। उस पर आपत्ति की गई थी कि उन्हों ने यह कैसे समझ लिया कि शरणार्थी पुनः बस गए हैं। उन का आशय उस में यह था कि पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान के अधिक संख्या में शरणार्थी बसा लिये गए हैं—यद्यपि हो सकता है कि वे अपनी पूर्व स्थिति में पाकिस्तान में आ न सके हों—फिर भी वे जीविका कमा रहे हैं और सभी कार्य चला रहे हैं—इस में क्या गलती है ?

तब फिर एक प्रश्न पूछा गया था और यही उन का अधिकतम शरणार्थी बसा लिये जाने का तात्पर्य था। मैं इस से सहमत नहीं कि यदि शरणार्थी अपनी जीविका कमा रहे हैं तो ठीक है किन्तु मैं कहता हूं कि वह यद्यपि जीविका कमा अवश्य रहा है किन्तु मन में सदैव यह सोचता रहता है कि वह देश विभाजन का शिकार है। वह हृदय से सन्तुष्ट और सुखी नहीं है। अतः उसे कम से कम इतनी सहायता अवश्य दी जानी चाहिये कि वह अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य तो बन सके जिस से समाज के लिये एक योग्य सदस्य बन सके।

एक माननीय महिला सदस्या का यह कहना सर्वथा उचित है कि बेकारी केवल शरणार्थियों के लिये ही नहीं है वरन् सम्पूर्ण देश आज उसी का शिकार हो रहा है किन्तु मेरा उन से यह निवेदन है कि क्या

[सरदार हुक्म सिंह]

विस्थापित व्यक्तियों के साथ भी यहां के निवासियों की भांति ही व्यवहार किया जा रहा है ? एक स्थल पर हमारे माननीय विस्थापित मंत्री ने कहा था कि विस्थापितों की दशा इस देश के नागरिकों से अब भी अच्छी है, अतः उन्हें बड़बड़ाना नहीं चाहिये। मेरा कहना है कि क्या इस देशवासियों का यह उत्तरदायित्व नहीं कि वे हमारी सहायता करें जिस से हम भी देश के लिये कुछ कर सकें और समाज के एक आवश्यक अंग बनें। यदि पंच वर्षीय योजना को सफल बनाना है तो इस ओर भी ध्यान देना ही होगा। मेरे पूर्व-वक्ता ने कहा कि जो इन सब की आलोचना करते हैं वे राजनीतिक उद्देश्य के कारण ऐसा कहते हैं किन्तु उन्हों ने यह कभी अनुभव ही नहीं किया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों का भाग्य क्या होगा। मैं यह इसलिये नहीं मान सकता कि उन का भाग्य खराब हो सकता है क्योंकि उन के लिये अवसर अच्छे हैं। पाकिस्तान सरकार अपने शरणार्थियों से किसी प्रकार का किराया नहीं वसूल करती है क्योंकि उस का कहना यह है कि यह कोई व्यापार का सौदा नहीं है और यदि उन से किराया वसूल किया गया तो उन्हें बसाया नहीं जा सकता।

उन का कहना सत्य हो सकता है कि शरणार्थी बसा दिये गये हैं किन्तु यह हमारी उन की परिभाषाओं तथा प्रयत्नों में अन्तर के कारण है। इस के उत्तर में मैं सदैव यही कहूंगा कि ऐसा कहना सत्य नहीं है। मैं एक स्वतन्त्र आयोग की नियुक्ति इस जांच के लिये कराना चाहता था कि वास्तव में शरणार्थी बसा दिये गये हैं अथवा नहीं। ग्राम पुनर्वास के सम्बन्ध में कहा जाता है कि ५.३४ लाख परिवारों के लिये भूमि-आवंटन हो चुका है। इसी प्रकार ४९.०५ लाख नागरिक जन संख्या में से खेती पर निर्भर रहने वालों की संख्या २५ लाख से अधिक थी जिस में से २६.७ लाख अब तक बसाये जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक लाख आदमियों को जगह दी गई थी, पर उन्हों ने स्वीकार नहीं की, प्रश्न यह है कि एक एकड़ या एक कनाल जमीन देकर यह कैसे कहा जा सकता है कि लोगों को बसाया जा चुका है। फिर इस में ६६ प्रतिशत भूमि उजाड़ है। ऐसी १५ एकड़ भूमि से भी किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। यदि दी हुई जमीन से एक परिवार का भरण-पोषण तक न हो सके तो इसे पुनर्वास कैसे कहा जाएगा और इस प्रकार बसाये गये २६.७ लाख व्यक्तियों को बसाया गया कैसे माना जा सकेगा ?

नियतनों को रद्द करवाने वाले पुनरीक्षण के १४०० मामले अभिरक्षक के पास पड़े हैं। नामों की गड़बड़ है और अनेक गलतियां हुई हैं। लोग पांच वर्ष से जिन जमीनों को सुधार कर उपज बढ़ा रहे हैं अब उन्हीं के नियतन रद्द किए जा रहे हैं। यह अत्याचार होगा। नगरों में बसाई गईं बस्तियां व्यापार-केन्द्रों से दूर हैं और दिल्ली में यातायात बड़ा व्ययसाध्य है। मकानों के किराये भी अधिक हैं। ऐसी चोरबाजारी किराये तो बनिये भी अपने मकान बना कर ले सकते थे। इसे पुनर्वास नहीं कहा जा सकता। व्यापार केन्द्रों से दूर होने के कारण लोग दस वर्ष में इन को छोड़ कर चले जायेंगे, और यह धन का अपव्यय होगा। कहने को ही अनेक व्यक्तियों को फायदे वाले रोजगार दिये गये हैं, वस्तुतः यह सच नहीं। ऋणों पर ब्याज दर ६ प्रतिशत है।

श्री ए० पी० जैन : ३.५ प्रति शत।

सरदार हुकम सिंह : आज ही दस हज़ार का ऋण पाने वाले एक व्यक्ति ने मुझ से कहा था कि एक दूकान की पगड़ी उस से दो हज़ार

मांगी जा रही है, फिर आठ हज़ार में अपना कारबार वह कैसे चला पायेगा ? फिर व्यवसायिक या प्रावधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल देना ही सब कुछ नहीं है । इस का लेखा-जोखा भी होना चाहिए कि प्रशिक्षण के बाद कितने व्यक्ति लाभप्रद रोजगारों में लग गये हैं या अपने कारबार चला रहे हैं ।

दावों की जांच और क्षतिपूर्ति की कहानी भी बड़ी करुण है और एक वर्ष का समय बीत जाने पर भी यह विषय अभी विचाराधीन ही बना हुआ है । सरकार इस से आगे हमें कुछ नहीं बताना चाहती । निष्क्रान्त-सम्पत्ति के उपयोग के सम्बन्ध में सरकार एक विधान लागा चाहती है । दावों की कुल राशि ५-६ सौ करोड़ से अधिक न होने पाए, इसलिये दावों में मनचाही कटौतियां की जा रही हैं । प्रत्येक स्थान पर जमीन का मूल्य एक सा नहीं होता । इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

फिर इस धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र में मुसलमानों की अलग बस्तियां क्यों रखी जाएं ? कल एक विस्थापित व्यक्ति एक तालाबन्द मकान की सूचना देने अभिरक्षक के पास गया, तो उस से कहा गया कि वह मुसलिम बस्ती है । पर उस ने मतदाता-सूची से दिखा दिया कि वहां एक भी मुसलमान नहीं है ।

श्री ए० पी० जैन : मुसलिम बस्ती कोई नहीं है ।

सरदार हुकम सिंह : यह तो कल की ही बात है । मैं दिखा सकता हूं कि कई मकान तालाबन्द पड़े हैं या दूसरे लोग उन पर कब्जा जमाये हुए हैं, और विस्थापित व्यक्तियों को वहां तक फटकने भी नहीं दिया जाता । अभी-अभी फाटक हबश खां की गली चमनलाल को मुस्लिम बस्ती में जोड़ा गया है, और कहा जा रहा है कि मुस्लिम बस्ती कोई नहीं है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं फिर दुहराता हूं कि मुस्लिम बस्ती कोई नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं अपनी चुनौती दुहरा रहा हूं । ऐसे मकानों की संख्या में अंतर भले हो, वे १००-२०० बतायें और मैं २००० कहूं, पर मुस्लिम बस्तियां हैं और इसी आधार पर अभिरक्षक मकान नहीं देते हैं ।

श्री ए० पी० जैन : यह बिलकुल गलत है । खाली मकान होने से मुस्लिम बस्ती नहीं हो जाती ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं अपनी बात पर अडिग हूं । कुछ विशेषाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों का सहारा होने के कारण उन मकानों को नहीं दिया जा रहा है ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (अमृतसर) : सभापति जी, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने रिफ्यूजीज के लिए बहुत कुछ किया है । जब मैं यह कहता हूं तो यह मेरा कहना बिल्कुल ही रस्मी नहीं है क्योंकि मैं शुरू से ही देख रहा हूं और थोड़ा बहुत इन्टरैस्ट रिफ्यूजीस के मामले में लेता रहा हूं और वक्तन फवक्तन अपनी राय भी देता रहा हूं । इसलिए मैं ने जैसा कहा है मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि काम बहुत हुआ है । बहुत ज्यादा काम था । इस में बहुत ज्यादा मेहनत की ज़रूरत थी । जहां तक मेहनत का ताल्लुक है इस में भी मैं इस बात की अपने और भाइयों ने जैसा कहा है उस की ताईद करूंगा कि हमारे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर का जहां तक मेहनत का ताल्लुक है कोई दकीका भी उन्हों ने फरोगुजाश्त नहीं किया । मगर उन के भी इख्त्यारात की कुछ हद है जो हम समझ लें । उन के रीसौरसेस समझ लें, जो बहुत महदूद हैं । कल ही वे कह रहे थे कि "इस मामले में हम क्या कर सकते हैं । वजीर खजाना से बात करिये" । किसी और मामला के मुताल्लिक उन्होंने किसी और

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

वजीर का भी नाम लिया कि "यह तो उन से ताल्लुक रखता है, मैं इस में क्या कर सकता हूं।" तो मैं समझता हूं कि यह एक बुनियादी गलती रही है। आज जब मैं ने उस रिपोर्ट में मिनिस्टर साहिब के यह लफ्ज पढ़े कि वैस्ट पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है वह काम खतम हो गया है, तो उस वक्त मैं ने अपने माइंड को पूरे तौर पर इस बात के लिए तैयार किया कि मुझे कुछ न कुछ ज़रूर कहना चाहिये। राष्ट्रपति के भाषण में रिफ्यूजीस का जिकर नहीं किया गया यह इस बात का पेशखैमा था कि शायद अब हमारी सरकार यह समझ चुकी है कि जहां तक वैस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीस का ताल्लुक है यह काम अब खतम हो चुका है। मैं समझता हूं कि इस राय ने, इस एलान ने और रिपोर्ट में इस तरह के जिकर ने हमारी जो रिफ्यूजीज प्राब्लम है उस को और एक्यूट (जटिल) बना दिया है, क्योंकि दरअसल पूरी तौर पर अभी यह मामला हल नहीं हुआ, मगर जिन्हें हल करना है उन के दिल में यह ख्याल पैदा हो गया है कि यह मसला हल हो चुका है। इसलिए यह मामला और भी संजीदा हो जाता है। हमारी शुरू से यह राय थी कि इसे हंगामी तरीके से खतम किया जाये, मगर वह हंगामी तरीका इख्तियार नहीं किया गया और आहिस्ता आहिस्ता अपने ढंग से और बड़ी खूबसूरती के साथ काम करने की कोशिश की गई। टाउन बनाये, बहुत से शहरों में मंडियां बनाई। यहां भी एक दिन रीहैबिलिटेशन मिनिस्टरी के एडवाइजर श्री मेहर चन्द खन्ना अपने साथ ले गये और बहुत सी जगहें उन्हों ने दिखाई जहां वे मंडियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस में कोई शक नहीं कि उन्हों ने इस सिलसिले में बड़ी मेहनत की और उन का बड़ा अच्छा खयाल था। उन्हों ने म्युनिसिपेलिटीज से या और किसी ढंग से जमीनें हासिल की। मगर मुझे अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि जो मारकीटें बनाई गई हैं और जिन के बनाने में इतना रुपया भी खर्च हुआ है उन में से बहुत ही कम मारकीटें कामयाब हुई हैं। इरविन रोड की एक मारकीट है उस का मुझे अपना ज़ाती तजुरबा है और इसी तरह लाजपत राय मारकीट के बारे में भी मैं ने सुना है कि वह भी कामयाब नहीं हुई। एक हिस्सा उस मारकीट का खाली पड़ा है और जिन्हों ने वहां दुकानें ली भी हैं वे उन का किराया नहीं दे सकते। इसी तरह मेरी इत्लाह है कि अमृत कौर मारकीट, लहना सिंह मारकीट और कमला मारकीटें जो बनाई गई हैं वे भी कामयाब नहीं हुई। इस लिए मैं यह उम्मीद रखूंगा कि आनरेबल मिनिस्टर जब रिप्लाई दें तो इस बात की जरूर वजाहत करें कि उन मारकीटों के कामयाब न होने का क्या कारण है, क्योंकि इस की वजह से लोगों में और भी बेचैनी पैदा हो रही है। रिपोर्ट में जिकर है कि नोटिस दिये गये हैं और यह एक बड़ा अच्छा काम है। लोगों ने सुख का सांस लिया जब उन्हें करजे मिले। मगर जब उन करजों की अदायगी का सवाल सामने आया तो उस वक्त बड़ी दिक्कत पेश आई। समझा तो यह गया कि यह करजे सिर्फ करजे ही हैं और उन को ब-मय सूद के वापस करना है। करजे तो दे दिये गये लेकिन दूसरी मुतअलिका बातों की तरफ बहुत कम खयाल किया गया। मुझे अफसोस है कि इस वक्त हमारे वजीर खजाना यहां हाउस में बैठे हुए नहीं हैं। ज्यादातर इस वक्त जो झगड़ा है वह अरबन (नगरीय) क्लेम्स (दावों) के बारे में है और जिस की वजह से मेरे जैसा आदमी भी यह कहने के लिए मजबूर है कि वैस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज का मामला हल नहीं हुआ। देहात के लोगों को तो कुछ जमीनें बेशक अलाट हुई हैं लेकिन अरबन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

जिस वक्त यह क्लेम्स बिल पार्लियामेंट में आने वाला था उस वक्त हमारी कान्फ्रेंस श्री मोहन लाल जी सक्सेना के साथ हुई थी। हम कहते थे कि मामला छः महीने में खत्म किया जाना चाहिये लेकिन उन्हों ने फरमाया कि इस काम को खत्म करने में साल भर तो ज़रूर लग जायेगा। लेकिन आप देखते हैं कि यह अभी तक पूरा नहीं हो सका है और आज भी हम यह नहीं कह सकते कि यह किस दिन खत्म होगा और किस दिन क्लेम्स का रुपया शरणार्थियों को मिलेगा। मैं ने वजीर साहिब की खिदमत में किसी मौके पर यह अर्ज़ किया था कि मिडिल क्लास के लोगों को जो करजे दिये गये हैं उन को क्लेम्स में से ही एडजस्ट किया जाये, क्योंकि क्लेम्स के बारे में कोई पता नहीं कि कब तक उन का फैसला होगा। इसलिए यह मुनासिब होगा कि उन के लोन्स को क्लेम्स में एडजस्ट किया जाये। मगर अफसोस है कि हमारा यह सुझाव नहीं माना गया। उन का जवाब भी मुनासिब ही था क्योंकि यह करजे सरकार ने उन को व्यापार के लिए दिये हैं। व्यापार से लोग रुपया कमाते हैं वे क्यों न करजे वापस करें। बेशक वे वापस करें। उन्हें वापस करने से तो कोई नहीं रोकता, मगर देखना यह चाहिये कि इस वक्त जो व्यापार मन्दा हो गया है और उस की बजह से हालत ऐसे खराब हो गई है कि वह इन्तजार कर रहे हैं इस बात का कि हमें अपने क्लेम्स मिले तो उस में से हम आसानी से अपने करजे अदा करें। पहले तो यह ख्याल था कि शायद यह क्लेम्स की रकम एक बड़ी भारी रकम होगी, मगर अभी सभापति जी आप ने ही यहां बोलते हुए कुछ फिगर्स दिये हैं, जिन से पता चला है कि ९९ परसेंट क्लेम्स ऐसे हैं जो तीस हजार से ज्यादा नहीं हैं और इस तरह आप देखेंगे कि सिर्फ एक परसेंट क्लेम्स ऐसे रह जाते हैं जिन के बारे में आप कह सकते हैं कि यह सरमायेदार लोगों के हैं लेकिन उन की गिनती बहुत थोड़ी है। इसलिए क्लेम्स के तै करने के बारे में मैं मिनिस्टर साहिब और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि उस में वैसे ही काफी देर हो चुकी है और यह निहायत जरूरी है कि आप उन के सैटल करने की कोई तारीख मुकर्रर कर दें कि आज से इतने अरसा में यह काम बिल्कुल पूरा कर दिया जायेगा। और जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते, तब तक यह जो अरबन करजे हैं उन के बारे में सैटिसफैक्ट्री इन्तजाम करें और क्लेम्स में उन को एडजस्ट कर लें, क्योंकि जो लोग शहर में रहने वाले हैं वे अगर दुखी रहते हैं तो वे इस के खिलाफ बड़ा शोर मचा सकते हैं और वे बनिस्बत देहात वालों के ज्यादा वोकल भी होते हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ जल्दी ध्यान देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जैसा कि ईस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए कायदा है कि छोटे करजे हर एक शरणार्थी को दिये जायें और इधर जो तरीका है कि जो लोग सिर्फ टाउनशिप्स में रहते हैं उन्हीं को छोटा करजा दिया जाये। इस को भी मैं समझता हूं दुरुस्त कर लेना चाहिये; वैस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए भी यही होना चाहिये कि चाहे वे किसी जगह रहें और चाहे वे टाउनशिप्स में न रहते हों उन लोगों को भी करजे दिये जायें।

एक बात की तरफ और मैं मिनिस्टर साहिब की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं, वह बात है पोलिटीकल एक्सप्लायटेशन, जिस का मुझ से पहले बोलने वाले मेम्बर साहिब ने भी जिकर किया है। मैं गवर्नमेंट को बतलाना चाहता हूं कि आज शरणार्थियों में जो असन्तोष है और उन को आज जो सहूलियतें हासिल नहीं हैं उस के कारण पोलिटीकल एक्सप्लायटेशन हो रही है। अब यह जो प्रजा परिषद् का आन्दोलन चल रहा है उस की बाबत मैं अपनी ज़ाती वाकफियत की बिना पर कहता हूं कि पंजाब में इस आन्दोलन का

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

मरकज पठानकोट को बनाया गया है । मैं अभी परसों ही पठानकोट से आ रहा हूं और मैं ने वहां फिर कर और लोगों से सुन कर सारे हालात को स्टडी किया और शहर के बड़े मुअज्जिज लोगों से भी गुफ्तगू की । मुझे इत्फाक से एक शख्स मिल गया जिस के कपड़े पुराने फटे और बुरी हालत में थे और वह कुछ नारे लगा रहा था और उस के हाथ में एक जलने वाली चीज़ थी मशाल जिस के बारे में मुझे यह शक हुआ कि अन्धेरा हो जाने पर यह उस को जलायेगा । मैं ने उस से इस का हाल दरयाफ्त किया तो उस ने बताया कि "मैं एक रिफ्यूजी हूं और दुखी हूं, खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है । इस लिए अब यह मशाल ले कर निकला हूं कि मैं इस गवर्नमेंट के अहद में इन्साफ की तलाश करूं । मैं भूका मर रहा हूं तो मैं ने समझा कि चलो यहां रोटी नहीं मिलती तो जेल में रोटी मिलेगी । वहां तो आराम से दोनों वक्त रोटी मिल जायेगी । इस लिए मैं सत्याग्रह के लिए पठानकोट आया हूं ।" पोलिटीकल एक्सप्लायटेशन का यह एक अच्छा नमूना है ।

तो मेरा मतलब यह है कि कोई जान बूझ कर करे या न करे मगर यह ज़रूर होता है कि जिस वक्त लोगों में डिस्सैटिसफैक्शन हो उस वक्त इस किस्म के आन्दोलन गवर्नमैंट के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं । उस वक्त आन्दोलन में ज्यादा चमक आती है और इस चमक को पैदा करने के कारण वही लोग बनते हैं जो डिस्सैटिसफाईड होते हैं ।

यहां योल कैम्प का भी मामला आया कि वहां गोली चली । जब मैं ने अखबार में पढ़ा कि वहां गोली चल गई है तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ और शॉक पहुंचा । इस लिए कि इस सरकार के जमाने में रिफ्यूजियों पर गोली चली, और इस में औरतें मारी जायें । मैं ने दूसरा बरशन भी सुना । मैं कांगड़े गया और वहां लोगों की बातें सुनीं । यह भी सुना कि डी० एस० पी० मारा गया । उस के बाद गोली चली और कुछ और भी पुलिस के आदमी जख्मी हुए । इस के मुताल्लिक तहकीकात हो रही है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । तहकीकात का कुछ भी नतीजा हो इस से मुझे कोई सरोकार नहीं । मगर इतनी बात ज़रूर है कि वह डी० एस० पी० भी बेचारा रिफ्यूजी था । इस के भी छोटे छोटे बच्चे हैं । दोनों ही तरफ से जो नुक्सान हुआ वह रिफ्यूजियों का ही हुआ । तो जो कुछ हुआ उस को तो तहकीकात बतलायेगी कि गलती किस की थी । इस के मुताल्लिक मैं कबल-अज-वक्त बिना दोनों तरफ के बरशन सुने कोई राय नहीं दे सकता । मगर मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि यह चीज़ बड़ी अफसोसनाक है कि यहां तक हालात पहुंच जायें कि रिफ्यूजी लोगों पर गोली चलाने का मौका आ जाये । ऐसे हादसे कुछ धब्बे पैदा कर देते हैं जो जल्दी नहीं मिट सकते । और अगर यह दाग ज्यादा हो जायें तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए नुक्सान-देह साबित हो सकते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि बजाय इस के कि यह खयाल किया जाये कि यह वैस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों का मामला अब खत्म हो चुका है यह समझना चाहिये कि इसे हल करने की कोशिश की जा रही है और जहां जहां जो जो कमियां हुई हैं वह दूर की जायें ।

यहां मकान नये नये बन रहे हैं । मेरी पहले रोज से यह राय थी कि हर एक को मकान देने का इन्तजाम करना चाहिये । मैं एक मिसाल देता हूं । एक साहिब हैं जिन को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं । रावलपिंडी छावनी शहर और कोहमरी में उन के लगभग १५० मकान थे, मगर बदकिस्मती से वे कोई नकद रुपया अपने साथ नहीं ला सके । मगर यहां आ कर वह साहिब जिन के पास १५० मकान

वैस्ट पंजाब में थे रुपया न होने की वजह से एक भी मकान हासिल नहीं कर सके । तो बताइये कोई भी आदमी जो इस को सुनेगा वह क्या कहेगा कि यह कैसा रीहैबिलिटेशन है । इसलिए मैं ने यह सुझाव दिया था कि कुछ ऐसे इन्स्टालमेंट्स बांध दिये जायें कि जिस में अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वे भी मकान हासिल कर सकें ।

मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन वक्त कम है और घंटी बज रही है इस लिए उन को छोड़ता हूं । जहां तक मेहनत का ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहिब ने कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया । वे रात दिन लगे रहे हैं, मगर उन की मजबूरियां पंजाब की एक मसल है कि दो बेड़ियों पर जिस के पांव हों वह मुश्किल से पार होता है । यहां जिस का १४ बेड़ियों पर पांव हो, तो उन का कहना ही क्या । रीहैबिलिटेशन मिनिस्टर को कई मिनिस्ट्रियों की तरफ देखना पड़ता है । मैं समझता हूं कि यह बड़ा मुश्किल सवाल है और जो कुछ उन्हों ने किया है वह बड़ी तनदही से किया है । मुझे कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि शहर के शहर इतनी जल्दी खड़े हो गये हों । टाउनशिप बन गये हों । सिर्फ देखने की बात यह है कि जहां जहां यह चीजें बन गई हैं, उन का इस्तेमाल भी ऐसे ढंग से हो कि वहां ऐसा न हो कि मकान तो मिल जाये लेकिन उस जगह रहने वालों के लिए कोई काम न हो । और अगर काम मिल जाये तो रहने के लिए कोई जगह न हो । मानी इस तरह थोड़े दिनों के लिए कोई आदमी रीहैबिलिटेट हो जाये उस के बाद फिर डिस्प्लेस हो जाये । मैं चाहता हूं कि इन बातों पर ध्यान दिया जाये ।

मैं अपने आनरेबल मिनिस्टर की जिन्हों ने बड़ी मेहनत की है, तारीफ करता हूं और अर्ज करता हूं कि वह इन बातों की तरफ और भी तवज्जोह दें ।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर—झुंझनूं—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार और उस के पुनर्वास विभाग ने जो कार्य किया है उस के लिये उस का आभारी हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं । परन्तु साथ ही मेरी समझ में उन्हों ने जो त्रुटियां की हैं उन को कहे बगैर भी मुझ से रहा नहीं जाता ।

मैं सभापति जी के द्वारा सदन का ध्यान उन अभागे दलित हरिजनों की ओर खींचना हूं । अगर मैं गलती नहीं करता तो अभी भी पचास हज़ार हरिजन पाकिस्तान में हैं और दस हज़ार हरिजन जो यहां पाकिस्तान से आये थे वह यहां मारे मारे फिरते रहे । उन को रोज़गार नहीं मिला । वे अगर प्याज़ भी बेचते थे तो कोई उन के हाथ का नहीं लेता था । वह तंग आ कर हिन्दुस्तान छोड़ गये । मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या क़दम उठायेगी । क्यों कि मैं अंगरेज़ी पढ़ा हुआ नहीं हूं । शायद इस रिपोर्ट में हमारे मंत्री महोदय ने लिखा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं उन का काम क़रीब क़रीब समाप्त हो गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस तरह यह कहते हैं । मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं उस क्षेत्र में अभी भी पांच हज़ार शरणार्थियों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । इस के बारे में थोड़े शब्दों में बतला सकता हूं कि सारी दरख्वास्तें तो मैं नहीं ला सका लेकिन फिर भी मेरे पास इतनी यह ऐप्लीकेशन्स हैं जो मेरे क्षेत्र से आई हुई हैं, अगर माननीय मंत्री महोदय आज्ञा दें तो मैं उन के पास भेज सकता हूं ।

डा० लंका सुन्दरम् (बिशाखापटनम्): मज पर रख दीजिये ।

कुछ माननीय सदस्य : ये दरख्वास्तें किस विषय में हैं ?

श्री पी० एल० बारूपाल : सारी शरणार्थियों की हैं, किसी की काम के विषय में है, किसी की मकान के विषय में है, किसी की ज़मीनी एलाटमेंट के विषय में, और किसी की तक़ावी के विषय में । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने एक एन्क्वायरी कमेटी भी कायम की है, मैं भी उस का सदस्य हूं । मैं नहीं जानता कि वह कमेटी कहां तक सफल होगी । पहले भी उन्हों ने एक कमेटी बनाई थी, उस के अन्दर सरकार का ६४ हज़ार रुपया बरबाद हुआ और उस का कोई नतीजा नहीं निकला । मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय जो कार्य करते हैं वह अच्छा करते हैं, लेकिन इस समय कुछ तो सरकार की पालिसी ही ऐसी है, और कुछ प्रतिक्रियावादी लोग ऐसे हैं जो सरका को फेल करना चाहते हैं और मैं अनुभव के साथ कहता हूं कि वह तब के ऐसे हैं जो कि हिन्दू महा सभा, राम राज्य परिषद्, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या जन संघ आदि से ताल्लुक रखते हैं । वह हमारी सरकार को फ़ेल करने पर तुले हुए हैं और वह हर तरीक़े से ऐसी ऐसी समस्यायें पैदा करते हैं और उन शरणार्थियों को उलझन में डालते रहते हैं जिन्हों ने कांग्रेस को वोट दिये । अभी अभी ज़मीनों का एलाटमेंट जो हुआ है उस में बड़ी गड़बड़ी दिखाई पड़ती है । यह मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय कहां कहां जायेंगे, लेकिन उन के कर्मचारियों ने एक आदमी को पंजाब में ज़मीन एलाट की है और साथ ही उस को गंगानगर में भी एलाट की है । इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हों ने मसलमानों की ज़मीनें छिपा रक्खी हैं । कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी भी हैं जैसे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, जिन्होंने कितनी ही ज़मीन छिपा रक्खी है जो सरकार के रिकार्ड में नहीं है और उस का फ़ायदा वह खुद उठाते हैं । सरकार और शरणार्थियों को उस से कोई फ़ायदा नहीं होता है । जैसा पहले मैं ने एक प्रश्न में कहा था, क्या डबल एलाटमेंट करने की वजह से गड़बड़ी हुई है ? यह एक समस्या बन चुकी है । एक ज़मीन पहले एक शरणार्थी को एलाट हुई फिर वह दूसरे को एलाट कर दी गई । जब वह क़ब्जा मांगता है तो उस को क़ब्ज़ा नहीं मिलता और झगड़े हो जाते हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि न कोई वहां झगड़ा हुआ है और न कोई क़त्ल । मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई क़त्ल न हुआ होगा पर आपस में क़त्ल हुए हैं । एक मोहल्ला में ज़मीन के कारण क़त्ल हुआ और झगड़ा हुआ, इसी तरह ४६ चक में भी एक कत्ल हुआ । गंगा नगर के जो कलक्टर हैं उन के यहां १५ या १६ झगड़े के मुक़दमे चल रहे हैं । यह बहुत बड़ी समस्या है । हरिजनों की बड़ी उपेक्षा की जा रही है । वहां एक यह नीति चल रही है कि जो हरिजनों को ज़मीन दी गई है वह छीन ली जाये । मैं कहता हूं कि हरिजन सिर्फ आज से शरणार्थी नहीं है वे तो सदियों से शरणार्थी हैं । मैं यह कहने को तैयार हूं कि हरिजन शरणार्थी जो पाकिस्तान से आये हैं वे हमारे पूर्वजों के वंशज हैं और वे सम्वत् १९५६ के महा अकाल में यहां से चले गये थे । उन की संस्कृति और वेश-भूषा हम से मिलती है । इस कारण उन को यह कह कर टाला जाता है कि तुम नकली शरणार्थी हो । कहने का मतलब यह कि उन की स्कीम हरिजनों से ज़मीन छीनने की और नहीं देने की है । झूठमूठ दरख्वास्तें लोग दे देते हैं कि यह काश्त खुद नहीं करता है और यह शरणार्थी नहीं है इस तरह उन की ज़मीन छीन छीन कर जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वे ले लेते हैं । मैं आप को बताना चाहता हूं

कि जिन हरिजनों को ज़मीनें दी गयी हैं वे वहां भी काश्त करते थे और यहां भी काश्त करते हैं। अगर यह मान भी लिया जाय कि उन के घर की ज़मीन नहीं थी तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन अभागों को वंचित न रखा जाय बल्कि उन को ज़मीन दी जाय और उन को बसाया जाय। और भी जो सहूलियतें हैं वह उन को दी जायें। हरिजन शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या का नाम दर्ज नहीं किया गया है। बहुत से लोग रुपया देकर भी रजिस्टर हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि जो शरणार्थी नहीं था उस ने भी अपनी आत्मा का पतन कर के अपने को शरणार्थी दर्ज करवा लिया है। और वह गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं। खराबी दोनों तरफ़ है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि इस समस्या को ठीक तरह से सुलझाया जाय। अभी वहां तीन हज़ार ऐसे हरिजन शरणार्थी पड़े हैं जो रजिस्टर नहीं किये गये हैं और उन को कुछ सहायता नहीं मिली। मैं उन में इंटेरेस्ट लेता हूं और मुझे उन का अनुभव है। मैं सन् १९३५ से उन में प्रचार कार्य कर रहा हूं। मैं ने हैदराबाद, कराची, मुलतान और भावलपुर में पहले भी प्रचार कार्य किया है। भावलपुर में तो मैं पांच साल रहा और मैं ने प्रचार कार्य किया। मैं उन को ज़ाती तौर पर जानता हूं। उन लोगों के साथ कर्मचारी चाल चल रहे हैं। कर्मचारी कौन हैं? ये वे लोग हैं जो हमारी सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों का पता लगाना चाहिये। वहां भ्रष्टाचार के बहुत मामले होते हैं। मैं इस को ज़ोर से नहीं कह सकता क्योंकि मैं उन को साबित नहीं कर सकता। क़ानून की ऐसी पेचीदगियां हैं कि क़ाबिल आदमी भी घूस को साबित करने में असफ़ल रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हज़ारों रुपया घूस का लिया जाता है और लिया गया। मालूम नहीं वह किस के पास गया और किस को उस से फ़ायदा हुआ। लेकिन इस को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। मैं ने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि अगर आप मेरे साथ कोई सीधा साधा आदमी कर दें और वह टट्टी की ओट में बैठ जाय तो मैं बतला सकता हूं कि कितनी घूस ली जाती है। इस के अलावा और कोई तरीक़ा इस घूस को साबित करने का नहीं है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना कथन समाप्त कर दें। उन्हों ने कुछ असंगत बात कही थीं, किन्तु मैं ने उन्हें टोका नहीं। अब वह अपना भाषण समाप्त कर दें। श्री नन्द लाल शर्मा बोले।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर)

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय,
देव्यैचतस्यैजनकात्मजायै ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो,
नमोऽस्तुचन्दार्कमरुद्गणेभ्यः ।।

सभापति महोदय, मैं सोच रहा था कि मैं माननीय पुनर्वास मंत्री महोदय का धन्यवाद किस ढंग से करूं। परन्तु मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उन के स्थान पर अपना धन्यवाद करने का अवसर प्रदान किया। फ़रीदाबाद के चित्र से मैं क्या समझूं।

अपि ग्रावा रोदित्यपि दलतिवज्रस्य हृदयम्।। पत्थर का हृदय भी रोने लगता है। मंत्री महोदय को ध्यान है कि शरणार्थी समस्या हल हो गयी है और वह उस को इस रिपोर्ट द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि यह काम लगभग समाप्त हो गया है। पंच वर्षीय योजना में भी इस शरणार्थी समस्या को समाप्त प्राय समझ लिया गया है। उसी के अनुसार इस रिपोर्ट में भी १७८·१० करोड़

[श्री नन्द लाल शर्मा]

रुपये का खर्च बतला कर अन्त में उस को शांत कर दिया गया है। मुझे यह विश्वास है कि इस तरह इस कार्य की अन्त्येष्ठि क्रिया तो भले ही कर दी जाय किन्तु सम्भवत: शरणार्थियों की भी अन्त्येष्ठि क्रिया इस के साथ ही न हो जाय। बात यह है कि शरणार्थी शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं क्योंकि आप ने वस्तुत: उन को कोई शरण नहीं दी है। मुझे खेद है कि एक व्यक्ति का दो बार नाम आ चुका है परन्तु मैं तीसरी बार उन का नाम लेना चाहता हूं। मेरा तात्पर्य श्री मेहरचन्द जी खन्ना से है जो कि सब जगह प्रसिद्ध हैं। जब उन के पास कोई दुखी व्यक्ति जाता है तो वह उत्तर देते हैं....

श्री ए० पी० जैन: मैं एक ऐसे भद्र पुरुष के नामोल्लेख पर आपत्ति करता हूं जो कि इस सदन का सदस्य नहीं है और जो अपने आरोपों का यहां उत्तर नहीं दे सकते है। यह प्रजातंत्रात्मक संसद् की प्रथा के विरुद्ध।

श्री नन्द लाल शर्मा: वह मंत्रालय के सदस्य हैं और सदन में उन का नाम लिया जा चुका है। मैं उन के विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहा।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि पहिले किसी भद्र पुरुष के सम्बन्ध में कुछ कहा जा चुका हो और उस पर कोई आपत्ति न की गई हो तो इस से उन्हें भी उस के उल्लेख का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि कुछ निन्दात्मक न हो, तो वे उस का उल्लेख कर सकते हैं। माननीय सदस्य किसी ऐसे पदाधिकारी के आचरण की आलोचना या निन्दा नहीं कर सकते जो यहां आ कर उत्तर न दे सकता हो।

डा० लंका सुन्दरम्: एक औचित्य प्रश्न के हेतु। वह भद्रपु ष निर्वासित सम्पत्ति का अभिरक्षक है।

सभापति महोदय: वह अभिरक्षक नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम्: क्या उस का पद से उल्लेख कर सकते हैं?

सभापति महोदय: श्री नन्दलाल शर्मा के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि वे उस भद्रपुरुष की आलोचना नहीं कर रहे हैं यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्द लाल शर्मा: मेरा निवेदन यह है कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद यदि वे अनुचित होते तो यह कहा जाता तो ठीक था। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता था मैं केवल यह कहना चाहता था कि वह मिनिस्ट्री के एडवाज़र होने के कारण लोग उन के पास गये तो उन को यह शब्द कहना पड़ा कि फ्रंटियर का मेहर चन्द खन्ना मर गया। यह शब्द उन को कहने पड़े। और यह कहने का कारण था। वह समझते हैं कि जितना उन को करना चाहिये वह नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति भी शरणार्थी होने के कारण धीरे धीरे मरते जायेंगे और अन्त में यह कह दिया जायगा कि शरणार्थी समस्या समाप्त हो गयी। डाक्टर मरीज को देखता है, उस का दर्द खत्म नहीं होता है, तो वह मारफिया का इंजेक्शन दे देता है और मरीज़ बेहोश हो जाता है और चिल्लाता नहीं। उस की आवाज़ नहीं आती, परन्तु उस का यह मतलब नहीं कि उस की बीमारी ठीक हो गई है। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि यह समझा जाता है कि शरणार्थियों की समस्या समाप्त हो गई है, उन को बसाया गया है, उन को पूरे तौर से भोजन दिला दिया गया है और उन के बाकी कष्टों को दूर कर दिया गया है। आप ने स्थाली पुलाक न्याय से यह सिद्ध करने की

चेष्टा की है। अगर बटुवी का एक चावल गल गया तो समझ लिया कि भोजन बन गया। इस जगह मैं राजनीतिक दलबन्दी के कारण कोई बात नहीं कहना चाहता यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं स्वयं उत्पीड़ित हूं और एक उत्पीड़ित होने के नाते ही उन में जाता हूं और उन के बीच में रहता हूं। अब उन की यह हालत है कि जिस के पास हज़ार था, पांच सौ था, पांच हज़ार था, दस हज़ार था वह इन ६ वर्षों में उसको समाप्त कर चुके हैं। आज उन को यह चिन्ता है कि आगे क्या करेंगे। यहां जो ८० लाख व्यक्ति पाकिस्तान से उठ कर आये हैं उन में से बताइये कि कितनों ने भीख मांगना शुरू किया है। विश्व के किसी भी दूसरे देश में यदि ऐसे व्यक्ति उठ कर आते तो शायद भिखमंगों से घर भर जाते। लेकिन इन उत्पीड़ितों ने आज तक भीख मांगना शुरू नहीं किया। चाहे वह घर में रो लेते हैं या भूखे रह जाते हैं लेकिन कोई भीख नहीं मांगता। उन के लिये आपने १७८ या १८० करोड़ का खर्च दिखा दिया। उस में से जैसा कि गिडवानी जी न बतलाया १०० करोड़ तो आपने इनवेस्ट किया और उस को आप शरणार्थियों से वापस लेंगे जो रुपया आपने मकान बनाने में खर्च किया दिखाया है अगर सचमुच वह रुपया ठीक तरीक़े से लगाया होता तो भी शरणार्थियों को उस से कुछ लाभ पहुंचता। अभी कल परसों मेरे पास एक पत्र आया कि यहां जिन को तीन कमरों का क्वार्टर मिला है उन का मूल्य सात सात हज़ार रुपया था। लगभग एक वर्ष से ऊपर हो गया कि उन को यह कहा गया था कि उन का मूल्य सात हज़ार अनुमान किया गया है। वस्तुतः खर्चा उस से भी कम आता है। आज उन से कहा जाता है कि दूसरा क्वार्टर तीन कमरे वाले ८ २०० रुपये में बने हैं इसलिये उन को कहा जाता है कि तुम १,२०० रुपये और दो तब तुम को क्वार्टर मिलता है। नहीं तो तुम अपना सात हज़ार रुपया लौटा लो। इस तरीक़े से शरणार्थियों को कहा जाता है। यह पत्र मेरे पास उपस्थित है। जिस समय मिनिस्टर महोदय इच्छा प्रकट करेंगे यह दिखा दिया जायेगा। मैं ने पहले भी कहा था कि ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जिन के पास वहां चाहे एक मकान था या नहीं था, इस से हमें कोई सम्बन्ध नहीं, लेकिन यहां पर उन्हों ने एक के बदले कई मकान ले लिये हैं। एक बाप को मिला और एक एक भाई को, एक दूसरे भाई को मिल गया। और ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन को कोई मकान नहीं मिल रहा है। हमारे मंत्री महोदय के सामने मैं ने पिछले बजट के समय इस बात को भी रखा था कि एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम इतने रुपये दो तो मकान तुम्हारा हो जाय। आप ने मुझे चिट्ठी लिखी कि आप ऐसे व्यक्ति के नाम बतायें। मैं ने स्वयं उपस्थित हो कर मंत्री महोदय की सेवा में कहा था कि आप एक कमेटी बनाइये, जांच समिति, तो मैं आप को कितने ही नाम दूंगा।

श्री ए० पी० जैन: लेकिन कोई नाम आपने नहीं बताये।

श्री नन्द लाल शर्मा: म निवेदन करूंगा कि मैं स्पष्ट रूप से व्यक्ति को बताने के लिये तैयार हूं, लेकिन आप जांच समिति नियुक्त करें। नाम बतलाने पर वह व्यक्ति तो यों ही मारा जायगा और आप को, आपके विभाग को कोई काम करना नहीं है। इसलिये मैं फिर निवेदन करता हूं कि आज भी मैं नाम बतलाने में घबराता नहीं हूं, हिचकिचाता नहीं हूं, लेकिन मैं आप को बताऊं कि ऐसे व्यक्ति मेरे पास बहुत हैं। आप

[श्री नन्द लाल शर्मा]

जांच कराइये, जांच समिति नियुक्त करिये। आपने कहा था कि ऐसे एक से अधिक नाम मेरे पास हैं किन्तु आप की पहिले जो इनक्वायरी हुई उस का पता नहीं क्या हुआ।

इस के अतिरिक्त एक बात और भी अजीब है कि यह विभाग तीन मिनिस्ट्री में बांट दिया गया है। एक तो माइनारिटी मिनिस्टर के हवाले कर दिया—पूर्वी बंगाल के माइनारिटीज़ की कथा—एक को फ़ारैन विभाग के हवाले कर दिया गया—'अबडैक्टैड 'विमैन' की कथा, जो यहां लाई नहीं जा सकीं। शरणार्थी यहां बैठा हुआ है, उस की मां बहन वहां बैठी हुई हैं। उस का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह वहां खून के आंसू बहाये। एक प्रश्न यहां १७वें पृष्ठ पर है जो श्राइंज और होली प्लेसेज़ के बारे में है। यहां इस पृष्ठ पर यह शब्द आते हैं और यह आप के हाथ से लिखे हैं।

"यह विषय पाकिस्तान सरकार से कोई निश्चित उत्तर न मिलने के कारण अभी तक लटका हुआ है।"

पाकिस्तान की सरकार कोई उत्तर देती नहीं, हम कितने ही उस के पास सुझाव पेश करते हैं और कहते हैं कि कोई कानफरेन्स हो जाय। वे होली प्लेसेज़ लाखों की संख्या में हैं और आप के करोड़ों नहीं अरबों की सम्पत्ति के धार्मिक स्थान वहां पर रह गये हैं। उन का कोई भी नाम लेने वाला आज उपस्थित नहीं है। हमारी सरकार यह कहती है कि हम तो लिखते हैं, सुझाव देते हैं, पर पाकिस्तान सरकार कोई जवाब ही नहीं देती है। इसलिये हम उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते। मैं समझता हूं कि इस प्रकार दीन, निराधार, निराश्रित सरकार पर दया नहीं की जाय तो क्रोध कैसे किया जाय?

मैं, सभापति महोदय, थोड़े ही समय में क्लेम्स और कम्पेनसेशन की बात कह दूं। कारण क्या है?

न छेड़ ऐ निकहते वादे बहारी राह चल अपनी
तुझे अठखेलियां सूझीं, यहां बेज़ार बैठे हैं।

आपने क्लेम्स कह कह कर, कम्पेनसेशन कह कह कर बेचारे शरणार्थियों को चिल्लाते चिल्लाते छः वर्ष तो बिता दिये और अभी आप का विचार एट दी हाइएस्ट लेवल चल रहा है। कुछ पता नहीं बेचारे शरणार्थी को कि उस के भाग्य का क्या होने वाला है। इवैक्वी प्रापर्टी के सम्बन्ध में, निष्क्रांत सम्पत्ति के सम्बन्ध में आप ने छतरीवाला केस में जो कृपा करी, उस से अब वह नया कानून बन रहा है। अब सब उसी नियम के अनुसार ही बना देंगे। फिर बेचारे अछरू राम को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि एक शरणार्थी के साथ भी आप को न्याय करना है। यदि आप को सचमुच पुनर्वास मंत्री का कार्य करना है तो केवल यह कह कर कि मेरा कार्य अब समाप्त हुआ, शरणार्थी समाप्त हो गये, इसलिये मैं अब बैठता हूं, आप को बैठने का अधिकार नहीं है, आप को इस मिनिस्ट्री के समाप्त करने का भी अधिकार नहीं है। एक तो आप के दुर्भाग्य से पूर्वी बंगाल ही आप को बैठने नहीं देगा, क्यों कि जब तक पूर्वी बंगाल से वह अभागा मार खा खा कर चलता आवेगा और आप की सरकार कुछ कर नहीं सकेगी उस की रक्षा के लिये, तो शरणार्थी आप के बढ़ते ही चले जावेंगे। किन्तु मैं यह भी कहूंगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए उत्पीड़ितों की समस्या अभी हल नहीं हुई है। आप अपने आप को आत्म-सन्तोष में, सैल्फ़-कान्फ्लैसेंसी में न भुला

दें और यह ध्यान रखें कि अभी उस के दुःखों को हटाना है। और इस का कारण क्या है, यह आप के ही पुण्यों का फल है। शरणार्थी को जन्म किस ने दिया। आप ने कृपा नहीं की होती, आप ने इस भारतवर्ष का बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो यह शरणार्थी क्यों पैदा होते? मुझे याद है कि उस समय भी मैं ने नोआखाली से लौट कर रावलपिंडी की तरफ़ जब गया तो कहा था। मगर लोगों ने कहा कि क्या आप समझते हैं कि नेहरू और पटेल जैसे दिमाग, राजनीति में कोई दूसरे दिमाग हैं। उन के होते क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वह हम को मरवा दें। परन्तु किसी का वश नहीं। आज उन लोगों ने भी अपने दुःख को स्वीकार किया और आज हम लोग आप के सिर पर आ गये हैं। किन्तु आने पर भी, कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से तो कहूंगा कि मैं ने कभी इस सरकार से कौड़ी नहीं ली, न लेने की सीधे हाथ इच्छा रखता हूं। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूं, और भी ऐसे लोग हैं जिन के अन्दर कुछ भी आत्म-सम्मान की भावना है, जो ऐसा करना नहीं चाहते, वह आप के दरवाज़े पर नहीं गये। आप लोगों के पास उन्हों ने सहायता प्रार्थना नहीं की और फल यह हुआ कि उन में से बहुतों को आप शरणार्थी भी नहीं गिन रहे हैं। ऐसा भी आप को ध्यान रहना चाहिये। वह भी आप के पुनर्वास का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है।

एतावता, आप के परिश्रम, आप के हृदय की पवित्रता, आप के निरंतर कार्य करने के लिये धन्यवाद देते हुए भी मैं आप से निवेदन करूंगा कि अभी इस ओर बहुत करना बाक़ी है। यह कह कर मैं आप से विदाई लेता हूं।

श्री पी० एन० राजभोज: सभापति महोदय जी, इस बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा है। मैं जम्मू और काश्मीर में गया था वहां जितने भी शरणार्थी लोग हैं उन से मेरी बातचीत हुई है और जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से लोग आये हुए हैं, उन के बारे में भी मुझे मालूम हुआ कि उन की बहुत तरह से खराब हालत है। गवर्नमेंट को उन की ओर भी कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिये।

फिर हम एक जगह जो जम्मू से करीब करीब चालीस पचास मील दूर है, वहां भी गये। वहां भी एक रिफ्यूजीज़ की कोलोनी है उस के लिये जो ख्याल किया जाता है, जो सामान यहां मिलता है मेरे ख्याल से वैसा उन को नहीं मिलता है। मैं तो जानता हूं कि रिफ्यूजी लोगों के बारे में कोई भी ओपीनियन हो, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ न कुछ अच्छी तरह से काम हो रहा है। मकान है, खाना भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर ज्यादा तकलीफ है, वहां पर बोलना पड़ता है। अभी छै करोड़ अछूत लोग हम हैं। इन के बारे में हम कहते हैं कि ज़मीन दिलाओ, मकान बनवाओ, तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन रिफ्यूजीज़ के लिये तो बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों ने आवाज़ उठाई, हिन्दुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो गया और अभी पोलीटिकल इश्यू बन गया। हर एक पार्टी के लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं, ऐसा होना चाहिये, वैसा होना चाहिये। लेकिन मेरा कहना है कि हम को इस मामले में सच्ची इत्तिला से बोलना चाहिये लेकिन पालिटिक्स को, चुनाव को लोग इस में ले आते हैं। चुनाव का झगड़ा उठा देते हैं कि हम को वोट मिलना चाहिये, हम को वोट दो, हम ने तुम्हारे लिये इतना किया है। सभापति महोदय, मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। जो उस का सवाल है उससे हमारी भी हमदर्दी है, क्योंकि दुर्दैव से जो कुछ हो गया, खराब हो गया, मगर अब तो उस के लिये भला काम होना चाहिये।

[श्री पी० एन० राजभोज]

बंगाल से जो शरणार्थी यहां भारत में आये हैं उन में अछूत करीब १५, २० लाख हैं और यह देखने में आया है कि जो ऊंची जाति के भाई हैं और जो बड़े अफसरों तक पहुंच जाते हैं उन का काम तो जल्दी हो जाता है लेकिन जो हमारे गिरे हुए भाई हैं उन के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता और यह भेदभाव हिन्दुओं में जात पांत के कारण होता है। और पूर्वी बंगाल में जो हमारे अछूत भाई हैं उन के बारे में तो मैं ने यहां तक सुना है कि उन को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है, पता नहीं यह कहां तक सच या झूठ है, लेकिन ऐसी मेरी इत्तिला है। हमारे अछूत भाइयों को जबरदस्ती इस्लाम में कनवर्ट किया जा रहा है। जो रुपये पैसे वाले वहां के भाई लोग थे, वे तो भारत में आ गये और पीछे हमारे जो गरीब लोग हैं और हर तरह से पिछड़े हुए लोग हैं, वह वहां बैठे हुए हैं और उन पर इस तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह बारीसाल, गोपालगंज, चटगांव और कुलना आदि स्थानों में जायें और देखें कि आज हमारे वहां बसने वाले अछूत भाइयों की कैसी दर्दनाक अवस्था है ? इन स्थानों में अछूतों की बहुत आबादी है और करीब १०, १२ लाख अछूत वहां पर बसते हैं, वहां सवर्ण हिन्दुओं की अल्पसंख्या है, वे माइनारिटी में हैं। आज से नहीं, हमारे ऊपर पहले से अत्याचार होते आये हैं और मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि महात्म गांधी जब नोआखाली गये थे तब अछूतों के साथ कितना खराब सलूक किया गया था, कितना उन को मारा पीटा गया था और कितनों के धर्मपरिवर्तन किया गया और किस तरह हमारे भाइयों को गऊ मांस खिलाने के लिये जबरदस्ती की गयी। हम महात्मा गांधी का एहसान मानते हैं जो वह वहां हम लोगों की हालत सुधारने का प्रयत्न करने गये और अपने तरीके से उन्हों ने वहां काम भी किया। मैं आज हाउस का ध्यान उन की दैनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं और मेरी आप से प्रार्थना है कि आप उन की दशा शीघ्र से शीघ्र सुधारें। पंजाब में भाषा के विवाद को ले कर हिन्दी और पंजाबी को ले कर उन बेचारों पर जुल्म किया गया और मारा पीटा गया और धमकाया गया कि अगर वोट दोगे तो ठीक होगा नहीं तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जायेगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज किसी भी सज्जन ने इन पन्द्रह लाख अछूतों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं ध्यान नहीं दिलाया कि उन पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, उन को नौकरी नहीं मिलती, रहने को मकान नहीं मिलते, आदि। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे लिये एक अलग अछूतों की रिफ्यूजी मिनिस्ट्री बनाई जाय और तब आप देखेंगे कि यह काम अच्छी तरह से हो सकेगा और इस में कोई झगड़ा अथवा दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। मेरे इस सुझाव पर मैं देखता हूं कि मौलाना साहब बैठे हुए मुस्करा रहे हैं बड़े प्रेम से हंस रहे हैं.....

मौलाना आज़ाद : हंसना ही अच्छा है, रोना अच्छा नहीं।

श्री पी० एन० राजभोज : ठीक है, हंसने के सिवा और कोई काम नहीं कर सकते। बहरहाल, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि यह बहुत अहम मामला है और इस के हल करने के लिए आप एक बोर्ड बनाइये, यह जो आप का हरिजन सेवक संघ है यह तो बिल्कुल एक पार्टी का बोर्ड है, और वह तो उसी प्रकार है जैसे अंधा

पीसता है और कुत्ता आटा खाता है, इस काम में तो आप को सभी देशवासियों का सहयोग लेना आवश्यक है, तभी आप यह काम सफलतापूर्वक कर सकते हो।

अध्यक्ष महोदय, आप ने घंटी बजा दी, लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि मेरे दिमाग में भी एक घंटी है जो निरन्तर बजा करती है और मुझे यह अहसास दिलाती रहती है कि मैं अछूत भाई हूं और जब मैं बोलने खड़ा होता हूं और अपने प्लाइण्ट्स को डेवलप करना शुरू करता हूं तो चट से घंटी बज जाती है जिस का मतलब होता है कि मैं आगे प्रोसीड न करूं।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : संविधान में आप को रिज़र्वेशन तो प्रदान किया गया है और उस के द्वारा आप के अधिकार सुरक्षित रक्खे गये हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : वह सब किताब में ही दर्ज रह कर रह गया है, आगे कुछ नहीं होता और वह तो ठीक उस प्रकार है जैसे बगल में छुरी, मुंह में राम राम ! रिहैबिलिटेशन रिपोर्ट के बीस पेज पर डिस्प्लेस्ड हरिजनों के बारे में जो बोर्ड बनाने का जिक्र है, उस के बारे में मुझे यही कहना है कि आप उस के लिये एक बिल्कुल नान आफिशियल बाडी बनायें जिस में आप को सब देशवासियों का समान सहयोग प्राप्त हो सके हरिजन सेवक संघ से हम सन्तुष्ट नहीं हैं और वह इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक बिल्कुल कांग्रेस पार्टी है। और हम उन के जालों में फंसने वाले नहीं हैं। पूर्वी बंगाल या काश्मीर से अछूतों के अलावा जो और हमारे उच्च जाति के हिन्दू आये हैं उनको भी आप सहायता दें और बसायें मुझे इस में कोई एतराज नहीं, मुझे तो बल्कि प्रसन्नता ही होगी ।

बस मैं और ज्यादा न कह कर यह बतलाना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं ने जो कुछ मेरी स्वतन्त्र नीति थी ओपीनियन थी, वह आप के सामने जाहिर कर दी। गवर्नमेन्ट को हमारी दुर्दशा की तरफ ध्यान देना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे अछूत भाई जो बहुत गिरे हुए हैं वे, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब समय आ गया है जब गवर्नमेंट को जो कुछ उस ने कहा है कि उस को अमल में लाये और अपनी सच्चाई जाहिर करे। मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर महोदय और खन्ना जी भी जो आफिशियल गैलरी में बैठे हैं, हमारी ओर ध्यान दें और जल्द कोई कदम उठावें। बस मैं इतना कह कर और आप को धन्यवाद दे कर बैठ जाता हूं।

श्री ए० पी० जैन : मैं ने आज लगभग १७ सदस्यों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है। किन्तु मैं सब की सब बातों का उत्तर नहीं दे सकता, मैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के इस ठोस सुझाव के लिये उन का आभारी हूं कि विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये कोई योजना आरम्भ करने से पूर्व उस की अच्छी प्रकार परीक्षा कर लेनी चाहिये कि वह अच्छी और टिकाऊ हो। मुझे मानना पड़ेगा कि विशेष रूप से पूर्व में जब विस्थापित व्यक्तियों की बाढ़-सी आ गई और उन को शीघ्रता से बसाना पड़ा तो कुछ मामलों में उचित परीक्षा नहीं की जा सकी और उन योजनाओं में कुछ कमी रह गई। उन्हों ने किश्तों में ऋणों के भुगतान का भी प्रश्न उठाया था। हम इसे पहिले ही ठीक कर चुके हैं। जहां तक पूर्व में घरों के लिये ऋणों का सम्बन्ध है, ये साधारणतया दो किश्तों में दिये जाते हैं। व्यापार सम्बन्धी ऋण एक ही किश्त में दिये जा रहे

[श्री ए० पी० जैन]

हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऋणों के देने में समय भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि समय पर दिया हुआ एक रुपया समय के बाद दिये हुए दस रुपये के बराबर है। ये कुछ रचनात्मक सुझाव हैं। मैं तो कहूंगा कि यही कुछ थोड़े-से ठोस सुझाव दिये गये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : श्रीमान्, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री ए० पी० जैन : आप मुझ से अन्त में पूछ सकते हैं। अन्यथा अधिकांश वाद विवाद निन्दात्मक भाषणों से भरपूर है। सब से पहिले मेरी माननीय मित्र श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा था कि मेरा मंत्रालय बिल्कुल असफल रहा है। लगभग एक वर्ष या पन्द्र मास पूर्व श्रीमती सुचेता कृपलानी मेरे मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती थीं। अतः मेरे मंत्रालय की उस समय तक की असफलतायें उन की भी असफलतायें हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मुझे खेद है कि इस उत्तर से काम नहीं चलेगा।

श्री ए० पी० जैन : आप के लिये किसी से भी काम नहीं चलेगा। मैं यह जानता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : ऐसी बात नहीं है। आप कितना ही काम बिगाड़िये मैं आप की सहायता करने का प्रयत्न करती हूं।

श्री ए० पी० जैन : मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने बिगड़े हुए कामों को सुधारने में मेरी सहायता की। वह अब भी मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रही हैं। किन्तु, उन के मतानुसार सम्भवतः मैं उन की सलाह नहीं मानता। परन्तु तो भी मैं उन से एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या उन्होंने गत १५ मास में कभी कोई सलाह दी है ? क्या मैं ने उन की बात नहीं सुनी ? क्या उन्होंने इन १५ मासों में कोई ऐसा सुझाव दिया है जिसे मैं ने स्वीकार नहीं किया ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : जब कभी आप ने कोई सलाह मांगी है तो मैं ने आप के पास जा कर अपनी सलाह दी है किन्तु मैं ने अभी तक उसे क्रियान्वित होते नहीं देखा।

श्री ए० पी० जैन : आप को मेरी खुली चुनौती है कि आप एक भी ऐसा सुझाव बतलाइये जिसे मैं ने स्वीकार न किया हो।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं ने श्री मेहरचन्द खन्ना को समिति की बैठक में महिलाओं के पुनर्वास की योजना दी थी और मुझे ज्ञात नहीं कि समिति की बैठक के पश्चात् उस का क्या हुआ।

श्री ए० पी० जैन : क्या आप ने मुझे वह सलाह दी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैंने आप के मंत्रालय को दी थी .....

श्री ए० पी० जैन : सम्भवतः गत पन्द्रह मास में मैं बदल गया हूं। किन्तु १५ मास से पूर्व तक तो मैं ने सब कुछ आप के सहयोग से किया है। इस मंत्रालय की कोई ऐसी समिति नहीं थी जिस में कि आप न हों। आजकल भी आप मेरे मंत्रालय की सब से अधिक महत्वपूर्ण समितियों के साथ सम्बद्ध हैं, किन्तु फिर भी जब मैं उन के मुख से ऐसी बातें सुनता हूं तो मैं समझता हूं कि उन्हें यह शोभा नहीं देता।

प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री अचिन्त राम तथा अन्य कई मित्रों ने कहा है कि मैं ने बड़ी बढ़-चढ़ कर बातें की हैं, कि मैं ने यह कहा है कि यह समस्या सुलझ गई है। दूसरे शब्दों में, मैं ने झूठे दावे किये हैं, इस का यही तात्पर्य है। प्रतिवेदन आप के सामने है और माननीय सदस्यों ने उस के सम्बन्ध में अपनी सम्मतियां

भी प्रकट की है। अन्यथा इस प्रतिवेदन में तो केवल तथ्य दिये हुए हैं।

प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है :

"इस जटिल समस्या को सुलझाने में, विशेषतया पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ सन्तोष-जनक सफलता मिली है, किन्तु पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति अब भी चिन्ता-जनक है।"

क्या इस में कोई अतिशयोक्ति है ?

इस के बाद पृष्ठ ६ में कहा गया है :

"अतः पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकांश विस्थापित किसानों को पुनः संस्थापित समझा जा सकता।"

हम ने बिल्कुल सही आंकड़े दिये हैं और कोई माननीय सदस्य उन्हें गलत नहीं सिद्ध कर सकता। हम ने यह बतलाया है कि लगभग सवा पांच लाख परिवारों को भूमि दे कर बसाया जा चुका है। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि कुछ सौ परिवारों को छोड़ कर, जो कि किसी कारण से रह गये हों, शेष सब किसान परिवारों को, जिन के पास कि पश्चिमी पाकिस्तान में अपनी भूमि थी अथवा जो कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे, भूमि पर बसाया जा चुका है। यह एक सर्वथा भिन्न बात है कि इन में से कुछ भूमि के टुकड़े आर्थिक दृष्टि से उपयोगी न हों, मैं इस प्रश्न को बाद में लूंगा।

श्री गिडवानी : सम्पूर्ण पश्चिमी पाकिस्तान नहीं। सिन्ध, बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त और बहावलपुर को छोड़ कर।

श्री ए० पी० जैन : क्या इन आंकड़ों को देखते हुए यह वक्तव्य गलत है ? इस में तो केवल सारी स्थिति का सार दे दिया गया है। १९ पर लिखा है :

"उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि अब हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हैं जब कि यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को थोड़ा या बहुत देश की अर्थ-व्यवस्था में खपा लिया गया है।"

लाला अचित राम : गलत।

श्री ए० पी० जैन : मैं आप को आश्वासन देता हूं कि यह ठीक है।

लाला अचित राम : यह गलत है।

श्री ए० पी० जैन : आप ऐसा कह सकते हैं, किन्तु यह ठीक है।

हमारा तो दावा केवल इतना ही है कि विस्थापित व्यक्तियों को देश की अर्थ-व्यवस्था में खपा लिया गया है। खपाने का अर्थ है कि वे हमारी अर्थव्यवस्था के एक अंश बन गये हैं। २,२०,००० व्यक्तियों को नौकरी मिल गई है। हम १,७५,००० व्यक्तियों को छोटे छोटे ऋण दे चुके हैं। वे दूकानदारी कर रहे हैं। सम्भव है कुछ के लिये ये राशि पर्याप्त न हो, किन्तु बहुत से लोग व्यापार में खप गये हैं।

हम ५७,००० व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे चुके हैं और १२,००० शरणार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं। मेरे पास उन लोगों के आंकड़े नहीं हैं जिन्हों ने प्रौद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर के अपनी छोटी छोटी कर्मशालायें खोल ली हैं या जिन्हें नौकरी मिल गई है। हम प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को कुछ पोस्ट-कार्ड दे देते हैं और उन्हें कह देते हैं कि नौकरी मिलने पर वे हमें सूचित कर दें, अथवा किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें लिख दें। किन्तु इस विषय में उन में कोई उत्साह नहीं प्रतीत होता। इसी कारण मैं यह नहीं बतला सकता कि प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितनों को काम मिल गया है और कितने बेकार हैं।

[श्री ए० पी० जैन]

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन]

भूमि पर बसाये गये किसानों के आंकड़े, नौकरी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यापार के लिये ऋण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या बतलाने के पश्चात् क्या मेरा यह कहना गलत है कि उन्हें देश की अर्थ-व्यवस्था में खपा लिया गया है ? मैं अपने इस वक्तव्य पर अब भी कायम हूं और इसे गलत बताने वाले या तो 'खपाने' शब्द का अर्थ नहीं समझते या जान-बूझ कर ऐसा कर रहे हैं ।

मेरे विचार से इस के दो भाग हैं : एक तो मकान तथा दूसरा जीवकोपार्जन के साधन । भारतवर्ष एक निर्धन देश है । यहां की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी है । कृषि अधि सम्पत्ति को ही लीजिये । जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो एक बार भूमि के आर्थिक तथा अनार्थिक स्थिति का विश्लेषण कराया था । साधारण तौर पर ५ एकड़ तथा ५ एकड़ से अधिक भमि को आर्थिक दृष्टि से अच्छी कहा जा सकता है । और इस का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत से अधिक भूमि अनार्थिक है । अतएव यह सत्य है कि अर्द्ध स्थायी समझौते अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को जितनी भूमि दी गई है उस में अधिकतर भूमि अनार्थिक है । पंजाब में अर्द्ध स्थायी समझौते का आधार भूमिपतियों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में भूमि रखना था; और कोई भी व्यक्ति जिस के पास १० एकड़ भमि थी उसे उस का ७५ प्रतिशत भूमि जिस का मल्यांकन किन्हीं विशेष आधार पर किया गया है, दे दी गई है । अर्थात् मामूली एकड़ मान एकड़ों में, उन के उत्पादन तथा अन्य सुविधाओं के आधार पर परिवर्तित कर दी जाती हैं । अतएव मूल्य के विचार से पश्चिमी पाकिस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस के पास वहां भूमि थी चाहे वह पंजाबी था अथवा पंजाब से निस्सारित, उसे वहां की भूमि का तीन चौथाई भाग दे दिया गया है किन्तु यह १० मान एकड़ों से अधिक नहीं होगी । अब यदि दूसरी ओर अनार्थिक भूमि है तो अनार्थिक भूमि ही मिलेगी; यह सत्य है कि २५ प्रतिशत कटौती के आधार पर उन की संख्या बढ़ गई है, किन्तु उस में कुछ किया नहीं जा सकता । देश की साधारण आर्थिक स्थिति भी तो है । विस्थापितों के लिए निर्धनता के इस क्षेत्र में समृद्धिशील टापू तो नहीं बनाये जा सकते । अतएव प्रतिस्थापित करने के ढंग चाहे कुछ क्यों न हो, जो कुछ भी हम करेंगे वह देश की आर्थिक स्थिति मे ऊंचे नहीं जायेंगे । यदि इस देश में ८० या ९० प्रतिशत भूमि अनार्थिक है तो यह कोई विवादास्पद नहीं है कि विस्थापितों को ८० या ९० प्रतिशत भूमि भी अनार्थिक मिली है । यदि देश में अनार्थिक भूमि है तो शरणार्थियों को उस में से भी भाग लेना होगा । पंजाब के बाहर भी हम ने कम से कम ८ एकड़ भूमि सभी को दी है यहां तक कि ३२ एकड़ तक भी हम ने दिया है । इस के अतिरिक्त हम इस बात से भी बाध्य नहीं थे कि वह भूमि का स्वामी ही हो । यह विचार है---मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता ---और यह मेरा साधारण विचार है कि २५ हजार से ३० हजार तक व्यक्ति जिन के पास पाकिस्तान में कभी भी भूमि नहीं रही उनको पंजाब तथा पेप्सू से बाहर भूमि दी गई है। इनके बापदादों के पास भी पाकिस्तान में कभी भूमि नहीं रही और जो कि भूमिपतियों के यहां उन के खेतों पर मज़दूर की भांति काम करते रहे हैं उन्हें भी भूमि दी गई है । यदि स्थापना करने का मुझे गौरव है तो इस स्थापना का है क्यों कि वे भूमि की सन्तान हैं जो अपने लिए ही धनोपार्जन नहीं करते, अपितु उन दूसरों के लिये भी करते हैं जो उन के ऊपर निर्भर है और उन के कठोर परिश्रम में भाग बांटते हैं । मुझे इस परिणाम तक आने में

प्रसन्नता है क्योंकि वे भूमिहीन व्यक्ति जो खेती में काम करते रहे हैं, चाहे उन को अच्छी भूमि नहीं मिली हो, किन्तु फिर भी उन्हों ने इस भूमि का सदुपयोग किया । जब कभी मैं उन के बीच जाता हूं तो मुझे यह देखकर गौरव होता है कि वह राष्ट्र की समृद्धि में कुछ न कुछ बढ़ा रहे हैं । वे भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं, गेहूं--अच्छी किस्म का गेहूं--धान, चना तथा अन्य दूसरी चीजें ।

व्यापार की दृष्टि से--हम लोग निर्धन हैं और अतएव यह स्वाभाविक है कि अधिकतर शरणार्थियों की दुकानें छोटी होंगी । फिर बेकारी ? क्या देश में बेकारी नहीं है ? शरणार्थियों को भी इस में हिस्सा बटाना है । दुर्भाग्यवश चूंकि वह कमज़ोर है अतएव उसे अधिक दुख उठाना है । मैं विशेष बस्तियों जैसे फ़रीदाबाद, नीलोखेरी, तथा दूसरे स्थानों की बात नहीं कह रहा हूं । मैं शीघ्र ही इस के बारे में विचार प्रकट करूंगा । देश में कुछ आर्थिक स्तर भी हैं जो प्रचलित हैं, और जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है कि विशेष योग्यता जिन का शरणार्थियों में अभाव है उस का कारण इन का अलग, अलग होना है जिसे बहुत कुछ दूर करना है । तब वे समान स्तर पर आयेंगे और देश की आर्थिक स्थिति में खप सकते हैं । इस का यह अर्थ नहीं है कि सभी को वैसा ही काम करना होगा । यदि वह वहां भूमिपति था तो यहां भी भूमिपति रहेगा; वह व्यापारी था तो यहां भी व्यापारी रहेगा, भिखारी था तो यहां भी भिखारी रहेगा । स्थापना करने का यह अर्थ नहीं है । यहां वह देश की आर्थिक स्थिति में एक अंग होगा ताकि वह अपने लिए कुछ इस से अधिक ही कर सके । स्थापन का विषय देश के आम विकास का प्रश्न बन गया है : यदि देश समृद्धिशाली बन जाता है तो शरणार्थियों को भी इस समृद्धि में से भाग मिलेगा । यदि देश अवनति की ओर जाता है तो उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना होगा । एक स्थिति पर शरणार्थी समस्या एक विशेष समस्या नहीं रहेगी; यह देश की साधारण समस्या बन जायेगी--समृद्धि और निर्धनता--जिस से कि सभी जनता संतप्त है । यह वह नीति है जिस के द्वारा इस मंत्रालय के कार्य का विवेचन किया जाना चाहिए ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी; श्री अचिन्त राम तथा अन्य मित्रों ने प्रतिवेदन की आलोचना की है । किन्तु यदि मुझे कहने की स्वीकृति मिले तो मैं कह सकता हूं कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । मैं कह सकता हूं कि प्रतिवेदन तथ्यों पर निर्भर है । चाहे आप उन तथ्यों को स्वीकार करें अथवा उन का खंडन किन्तु एक बार जब आप उन तथ्यों का खंडन कर देते हैं, तो यह निष्कर्ष अनिवार्य हो जाता है । अब, मैं जानता हूं कि कुछ स्थानों पर कठिनाइयां हैं--विशेष कठिनाइयां हैं । मैं उन से संघर्ष करता रहा हूं । उदाहरण के लिये फ़रीदाबाद में बेकारी है । मैं लोगों को फ़रीदाबाद से दिल्ली तक ट्रकों में लाता हूं, जिस पर एक रुपया या चौदह आने प्रति व्यक्ति खर्च होता है और वे यहां श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं । मैं उन के लिये इतना कर रहा हूं क्या यह उन्हें काम देने का सच्चा प्रयास नहीं है ? मैं वहां पत्थर निकालने के कार्य में बहुत आर्थिक सहायता दे रहा हूं ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : हां, परन्तु उत्पादक कार्य होना चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन : पत्थर निकालने का कार्य उत्पादक कार्य है । मकान बनाने का कार्य भी उत्पादक कार्य है ।

श्रीमान्, जिन कामों के लिये श्रीमती सुचेता कृपलानी मुझे बुरा बता रही थीं वे ही इस बात के प्रमाण हैं कि मैं उन्हें काम दिलवाने के लिये कितना आतुर हूं ।

[श्री ए० पी० जैन]

नई बस्तियों में बेकारी की समस्या होती ही है। मकान बनाने से ही बस्तियां नहीं बन जातीं जैसा कि श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा है। वहां लाभप्रद काम होना चाहिये। कोई शरणार्थी दिल्ली में आता है तो वह यहां की विकसित अर्थव्यवस्था का अंग बन जाता है और उस से अपना निर्वाह कर लेता है। परन्तु बस्तियां तो दूर अलग थलग बनती हैं और बनते समय तो लोग उन के बनाने में व्यस्त रहते हैं परन्तु बने बाद उन्हें काम नहीं मिलता। जब तक वहां नई पूंजी न आये और उद्योग चालू न हों तब तक उन्हें काम नहीं मिल सकता। मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। आप इस से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरा व्यक्ति ढूंढ लीजिये जो इस कार्य को कर सके।

फिर, प्रतिकर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रतिकर को पुनर्वास का ही एक रूप मानता हूं क्योंकि ८० प्रतिशत दावे ३० हज़ार रुपये से अधिक मूल्य के नहीं हैं। इतने रुपये की सहायता किसी को दे दी जाये तो वह पुनर्वास ही होगा चाहे उसे आप प्रतिकर कहें चाहे पुनर्वास कहें। मैं ने इस विषय पर सदन में कई वक्तव्य दिये हैं और मैं उन पर दृढ़ हूं। श्रीमती सुचेता कृपलानी को मेरी बात पर विश्वास करना चाहिये। मैं ने जो वचन दिये हैं वे सरकार की ओर से दिये हैं। मैं ने अनेक बार कहा है कि प्रतिकर की एक योजना विस्तार से तैयार कर ली गई है। वह मंत्रि-मंडल के सामने लम्बित है। उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक विधान भी तैयार कर लिया गया है और वह मंत्रिमंडल के समक्ष लम्बित है। मैं यह कह तो नहीं सकता कि मंत्रिमंडल कब विनिश्चय करेगा---पता नहीं उस पर कुछ दिन लगेंगे या सप्ताह या मास लगेंगे। प्रधान मंत्री उस पर शीघ्र ही विनिश्च करना चाहते हैं। श्रीमती सुचेता कृपलानी की यह बात गलत है कि किसी मंत्री ने कोई विरोधी बात कही है। जब वह उन तथ्यों की पुनरावृत्ति कर रही हैं तो उन के पास अवश्य ही निश्चित आधार होगा। जहां तक क्षतिपूर्ति और उसे क्रियान्वित करने का प्रश्न है मैं ने अपनी और सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री चटर्जी ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र की पुनर्वास समस्याओं की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय। हम ने यह कर दिया है और इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने सदन में घोषणा भी की थी। एक तथ्य निर्धारण समिति नियुक्त की गई थी। उस ने तीन महीने के कार्य में समस्त आंकड़े एकत्रित किये थे जिन का विश्लेषण किया जा रहा है। शीघ्र ही मंत्रि-समिति के समक्ष यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि हम ने अन्य पार्टियों का सहयोग प्राप्त नहीं किया है इस विषय पर मैं ने उन से पत्र व्यवहार किया था। मैं ने उन से कहा था :

"मेरा विश्वास है कि तथ्य निर्धारण उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये जिन्हें योजनाएं तथा उन की कार्य प्रणाली और पद्धति से पूर्ण परिचय हो। उन्हें उच्च स्तरीय तटस्थता से काम लेना चाहिये। विभिन्न सिद्धान्तों, विचारों और आदर्शों वाली राजनैतिक पार्टियां इसे नहीं कर सकतीं। उदाहरणार्थ, यदि आप की पार्टी के साथ जन संघ और हिन्दू महासभा मिल कर काम करें तो मेरा विचार है कि कभी भी समान निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे।"

श्रीमती चक्रवर्ती ने मेरे पास १६ व्यक्तियों की एक सूची भेजी थी जिस के उत्तर में मैं ने कहा था :

"आप के पत्र से सन्निहित अनुबन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों के १६ व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं। यदि इन में अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित कर लिये जायें तो यह संख्या ४० अथवा ५० तक पहुंच सकती है इस वृहद् संख्या से कार्य अपेक्षित गति अथवा निस्पृहता के साथ सम्पन्न नहीं हो सकेगा।"

इन तथ्यों पर मंत्रीगण प्रशासन, आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से विचार करेंगे।

योल कैम्प की घटना के लिये मुझे खेद है। इसकी जांच की जा रही है। एक मजिस्ट्रेट भी इस की जांच कर रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिला दूं कि जो भी व्यक्ति उक्त घटना के लिये उत्तरदायी होगा उसे उचित दण्ड दिया जायगा। इस से अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता और मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर अभी से अपने मत व्यक्त किये हैं जब कि मामले की जांच पूरी नहीं हुई है।

अब अपक्रान्त व्यक्तियों का प्रश्न लीजिये। अपक्रान्तों के सम्बन्ध में अनेक कटौती प्रस्ताव हैं। उड़ीसा और बिहार में जो शरणार्थी भेजे गये हैं उन में भारी संख्या में अपक्रान्त भी हैं। सदन के कई सदस्यों ने हमारी पुनर्वास योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे त्रुटिपूर्ण हैं। उन के अनुसार हम ने शरणार्थियों को ऐसे स्थानों में भेज दिया है जो जंगलों से घिरे हुए हैं और जहां शेर और हाथी विचरण करते हैं। उड़ीसा और बिहार से स्थान त्याग कर आने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग ३०,००० है। हम ने इन व्यक्तियों की पूरी सहायता की है और यदि फिर भी ये व्यक्ति अपना स्थान छोड़ कर चल दें तो इस में पुनर्वास मंत्रालय का क्या दोष है। लगता है कुछ राजनीतिक विचारधाराएं और प्रोपेगेण्डा इसका कारण हैं।

दिनांक २२ अक्टूबर १९५२ को केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री और पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्री की एक बैठक में यह निश्चित किया गया कि जो व्यक्ति अपने कैम्प को छोड़ कर प्रस्थान कर देता है उसे किसी प्रकार की सुविधा अथवा पुनर्वास देने के प्रश्न पर फिर विचार नहीं किया जायगा। किसी भी स्थिति में रेलवे स्टेशन पर आवारा घूमने वाले व्यक्ति को सहायता नहीं दी जायगी। किन्तु परित्यक्त किये गये स्थानों पर लौट जाने पर उनकी समस्त शिकायतों की भली भांति जांच की जायगी।

अभी ८,००० में से लगभग ८०० शरणार्थी उड़ीसा से पुनः लौटकर हावड़ा स्टेशन पर बैठ गये। पश्चिमी बंगाल की पुनर्वास मंत्राणी ने उन्हें एक भेंट में बताया कि अपने निर्दिष्ट स्थान—चारबतिया बस्ती—में लौट जाने पर ही उन की शिकायतों पर विचार किया जा सकता है। पहले तो वे सहमत हो गये किन्तु बाद में किन्हीं राजनीतिक प्रेरणाओं से उन्हों ने लौटने से इन्कार कर दिया। हम अभी भी अपने निर्णय पर दृढ़ हैं कि अपने निश्चित स्थान पर लौट जाने के बाद ही किसी व्यक्ति की शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजनों के लिये अलग बस्तियां बसाई जा रही हैं। उन्हों ने दिल्ली का उदाहरण भी दिया। किन्तु यह आलोचना सही नहीं है। हम ने कभी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से काम नहीं लिया। व्यक्ति की जाति कुछ भी हो, वह हरिजन हो अथवा ब्राह्मण हम ने घरों का एक समूह उन के लिये बनाया है। उस समूह में हरिजन को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना अन्य किसी व्यक्ति को। किसी संस्था द्वारा आवेदन करने पर उसे ऋण दिया जाता है। अहमदाबाद की बाबा ठक्कर कॉलोनी के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ है।

[श्री ए० पी० जैन]

माननीय सदस्य सरदार हुक्म सिंह ने कहा कि दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र हैं जहां केवल मुस्लिम विस्थापितों को ही स्थान दिया जाता है। प्रारम्भ में ऐसा किया गया था कि जहां अधिक संख्या में मुसलमान रहते हैं वहां प्रायः शरणार्थियों को मकान नहीं दिये जाते थे क्यों कि साम्प्रदायिक झगड़ों के अवसर पर इन क्षेत्रों की स्थिति अत्यन्त विषम रूप धारण कर लेती थी। शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से उक्त कार्यवाही की गई थी किन्तु अब वह अपमार्जित कर दी गई है। आज मुस्लिम क्षेत्र जैसे स्थान नहीं हैं।

दावों का मूल प्रमाणीकरण प्रायः पूरा कर लिया गया है। दावा उपस्थित करने वाले जो व्यक्ति दावा पदाधिकारियों से सन्तुष्ट नहीं थे वे पुनर्विचार के लिये प्रार्थना पत्र दे सकते थे। हमारे पदाधिकारियों ने कतिपय मामलों में दावों का मूल्य अधिक आंक लिया है लेकिन ऐसे उदाहरण अधिक नहीं हैं। जब उक्त अधिकारी उन्हें अन्तिम रूप देते हैं और मुआवज़ा विभाग को प्रेषित करते समय यदि उन्हें यह अनुभव होता है कि मूल्य अधिक कूत लिया गया है तो वे इसे दावा आयुक्त के पास भेजते हैं। जांच का काम बड़ी सावधानी और सहिष्णुता के साथ किया जा रहा है। निश्चित है कि हम एक रुपये के स्थान पर एक रुपया नहीं दे सकते। हम केवल आंशिक अदायगी ही करेंगे।

इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर काम किया जा रहा है तथा मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने उक्त शंकाएं उपस्थित की हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को किस्तों में ऋण देने की नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी उन व्यक्तियों की स्थिति से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं जिन्हें किस्तों में ऋण दिया गया था और जो निजी कार्यों अर्थात् निर्वाह आदि में समाप्त हो गया है। क्या सरकार इन मामलों पर विचार करेगी और उन्हें पुनर्वासित करने के लिये दुबारा ऋण देगी?

श्री ए० पी० जैन : मैं किसी भी तरह का वचन देने की स्थिति में नहीं हूं। पश्चिमी बंगाल के समूचे पुनर्वास कार्य पर मंत्रि-समिति विचार करेगी।

श्री एस० सी० देव (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल की भांति आसाम और त्रिपुरा में भी तथ्य निर्धारण कार्य किया जायगा?

श्री ए० पी० जैन : मेरा विचार है कि वहां तथ्य निर्धारित समिति की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० सी० देव : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम राज्य की सरकार को किन शर्तों पर काम सुपुर्द किया गया है और क्या उक्त राज्य ने इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है?

श्री ए० पी० जैन : इस करार में विशिष्ट शर्तें नहीं हैं। अन्य कार्यों की भांति ही वह इसे करेगी। हां, वित्तीय और प्रशासन सम्बन्धी स्वीकृति के लिये वे अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे।

निम्नलिखित मांगें स्वीकृत हुईं

मांग संख्या ८५—पुनर्वास मंत्रालय—१८,१५,००० रु०।

मांग सं० ८६—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय—११,६१,८७,००० रु०।

मांग सं० ८७—पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय—३६,००० रु०।

मांग सं० १३४—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी विनियोग—२२,९२,००० रु०।

सदन की बैठक मंगलवार, २४ मार्च, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—253—PSD—4-1-54—285